Tuesday, 28 March, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8 मंगलवार 28 मार्च 1967/ चैत्र 7, 1889 (शक)

No. 8, Tuesday, March 28, 1967 / Chaitra 7, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ता. प्र. संख्या

Oral Answers to Questions

Starred Question Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
79. पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains Under PL 480	389-393
80. 1971 के पश्चात् रियायती दर पर आयात	Concessional Imports After 1971	393-397
81. कृषि इंजीनियर	Agricultural Engineers	397-399
82. एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों का बेड़ा	Fleet of Air India and Indian Air-lines Corporation	399-403
83. अपीजे शिपिंग कम्पनी	Appejay Shipping Company	403-406
84. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष	International Tourist Year	406-408
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	408
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	
86. हवाई अड्डों पर जलपान गृह	Airport Restaurants	408
87. मेक्सिकन किस्म का गेहूँ और बाजरा	Mexican Variety of Wheat and Bajra	408-409
88. खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता का बन्द किया जाना	Withdrawal of Subsidy on Foodgrains	409-410
89. हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	410
90. केरल को खाद्यान्न का दिया जाना	Allotment of Foodgrains to Kerala	410-411
91. परादीप पत्तन का मछली पकड़ने के बन्दरगाह के रूप में विकास	Paradeep Port as a Fishing Harbour	411
92. गन्ने का उत्पादन	Sugarcane Production	411

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूंछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

93.	छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes	412
94.	चीनी का मूल्य	Price of Sugar	412
95.	लगान का समाप्त किया जाना	Abolition of Land Revenue	412-413
96.	पिछले आम चुनावों पर व्यय	Expenditure on Last General Elections	413
97.	चीनी मिलें	Sugar Mills	413-414
98.	शहरी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था	Rationing in Urban Areas	414
99.	अनाजों के लिये राज सहायता	Subsidy in Foodgrains	414-415
100.	भुखमरी के कारण मृत्यु	Starvation Deaths	415
101.	राष्ट्रीय सहकारी बैंक (नेशनल कॉआप-रेटिव बैंक)	National Co-operative Bank	415
102.	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard	416
103.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य	Releif Measures in Drought hit areas	416
104.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	416-417
105	उड़ीसा में खाद्य समाहार	Food Procurement in Orissa	417
106.	केरल में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Kerala	417-418
107.	खाद्यान्नों का बाजार में आना	Market arrivals of Foodgrains	418
108.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की मांगें	Demands of I. A. C. Employees	419

अतारांकित प्रश्न संख्या — **Unstarred Question Nos.**

59.	आम चुनावों में मतदान के आंकड़े	Polling Figures in General Elections	449
60.	सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres in Community and National Extension Service.	419
61.	उड़ीसा में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tubewells in Orissa	420
62.	उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछला पकड़ने सम्बन्धी योजनायें	Deep-Sea Fishing Schemes in Orissa	420
63.	नारियल का उत्पादन	Output of Coconut	420-421
64.	चीनी के कारखानों का नियंत्रण उनके मालिकों को सौंपना	Release of Sugar Factories	421
65	गत आम चुनावों में जमा की गई जमानत की राशि	Forfeiture of Security Deposits in Last General Elections	421-422
66.	उड़ीसा में खाद्यान्नों का उत्पादन	Foodgrains Production in Orissa	422
67.	कांगड़ा में भारत-जर्मन कृषि परियोजना	Indo-German Agriculture Project in Kangra	422

68.	चीनी का स्टाक	Sugar Stocks	422-423
69.	किसानों को फार्म ऋण	Farm Credit to Farmers	423
70.	चीनी के भाव	Sugar Rates	423-424
71.	मद्रास बन्दरगाह में हुआ विस्फोट (1965)	Madras Harbour Explosion (1965)	424
72.	भारत का खाद्य निगम	Food Corporation of India	424
73.	विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard Vishakhapatnam	422
74.	कांटिलो (उड़ीसा) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kantilo (Orissa) as Tourist Centre	425
75.	गुन्टूर और विजयवाड़ा के मध्य हवाई अड्डा	Aerodrome between Guntur and Vijayawada	425
77.	एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन का लिया जाना	Drawal of Ration from More than one A. R. D.	425-426
78.	आम चुनावों के दौरान दिल्ली में देसी गेहूँ का वितरण	Distribution of indigenous wheat in Delhi during General Elections	426
79.	गन्ने की कीमत	Sugarcane Price	426-427
80.	एक ही खाद्य क्षेत्र के अन्दर खाद्यान्नों का लाना ले जाना	Movement of Foodgrains within a Food Zone	427
81.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	427
82.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	428
83.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान में बम होने की आशंका	Bomb Scare in I. A. C. Plane	428
84.	पटना निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पेटियां	Ballot Boxes in Patna Constituency	429
85.	मंदसौर जिले में चीनी मिल का बन्द होना	Closure of Sugar Mill in Mandsaur District	429
86.	देश में चीनी की मांग	Sugar Requirement of the Country	429-430
87.	हल्दिया पत्तन	Haldia Port	430
88.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	430-431
89.	दिल्ली में मेक्सिकन किस्म के गेहूँ का बीज के रूप में प्रयोग	Use of Mexican Variety of Wheat Seed in Delhi	431
90.	छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation Schemes	431
91.	आन्तरिक विमान सेवाएं	Internal Air Services	431-432
92.	हरियाणा राज्य में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in Haryana State	432

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28, मार्च 1967 / 7 चैत्र, 1889 (शक)
Tuesday, March 28, 1967 / Chaitra, 7, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात

+

*79 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सी० जनार्धनन :
श्री पी० सी० अदीचन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात के लिये सरकार ने कोई नया करार किया है;

(ख) यदि हां, तो नये करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) नये करार के अन्तर्गत खाद्यान्न की कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा तथा उसका कुल मूल्य क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि व्यापार विकास तथा सहायता अधिनियम, 1954 (पी० एल० 480) जो कि हाल में हुए शान्ति के लिए खाद्य अधिनियम, 1966 के रूप में संशोधित किया गया है, के अधीन अमेरिका सरकार के साथ 20 फरवरी, 1967 को एक करार हुआ था। अन्य बातों के साथ-साथ करार में 1,200,000 मीटरी टन गेहूँ/गेहूँ का आटा और

800,000 मीटरी टन अनाज सोरधन (माइलो) के सप्लाई करने की व्यवस्था है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जिन्स	सप्लाई अवधि संयुक्त राज्य वित्तीय वर्ष	उपयुक्त न्यूनतम मात्रा मीटरी टन	निर्यातिका अधिकतम बाजार मूल्य (लाख में)
गेहूँ/गेहूँ का आटा	1967	1,200,000	798 डालर
अनाज सोरधन (माइलो)	1967	800,000	423 डालर

इस करार में इस बिक्री का भुगतान स्थानीय कैरन्सी में करने की व्यवस्था है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय के अनुसार इस करार पर 20 फरवरी को हस्ताक्षर किये गये। क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करा सकता हूँ, कि 2 फरवरी अर्थात् इस करार पर हस्ताक्षर होने से लगभग दो सप्ताह पूर्व, अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत को खाद्य सहायता देने के प्रश्न पर अमरीकी कांग्रेस के नाम अपने संदेश में कहा था :

> यदि विकास शील राष्ट्र केवल मात्र औद्योगिक विकास पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखेंगे अथवा परमावश्यक संसाधनों का उपयोग अनावश्यक सैनिक सामग्री पर ही करते रहेंगे, तो उनको खाद्य सामग्री के संभरण का आश्वासन सदा के लिए नहीं दिया जा सकता।

इसके दो सप्ताह बाद इस करार पर हस्ताक्षर किये गये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अमरीका के राष्ट्रपति के इस सरकारी वक्तव्य से यह नहीं पता चलता कि यह करार, जिसका मूल पाठ हमें नहीं दिया गया, इस शर्त पर किया गया है कि हम औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित नहीं रखेंगे या अनावश्यक बताये गये सैनिक उपस्कर पर परमावश्यक संसाधनों को खर्च नहीं करेंगे। क्या हम ने यह शर्त मान ली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : अमरीका की सरकार या अमरीका के राष्ट्रपति के जो भी विचार हों, हमारा उनके विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं। यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी प्रभुसत्ता को खतरा हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस करार की शर्तें जानना चाहता हूँ। क्या इस करार के साथ काई पूर्वलेख संलग्न है ? यदि हाँ, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायगा जिससे हमारे संशय का समाधान हो जाय ?

श्री शिन्दे : मेरे विचार में ऐसा करना लोक-हित में नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लोकहित की कौन सी बात है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मेरे विचार में करार में कोई ऐसी बात नहीं जो देश के औद्योगिक विकास में बाधक सिद्ध हो। साथ ही साथ हमें कृषि का विकास भी करना है ताकि हम शीघ्र से शीघ्र खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर हो जायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या करार की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी।

श्री जगजीवन राम : मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इस पर विचार करूँगा और फिर उन्हें सूचित कर दूँगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय, श्री जगजीवन राम ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह लोकहित में नहीं है।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह बात बिलकुल नहीं कही।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि करार में कोई गोपनीय खण्ड न हो, जो उनके विचार से जनता के सामने नहीं आना चाहिये, तो उसे लोकहित का मामला कैसे कहा जा सकता है।

श्री जगजीवन राम : मैं लोक हित की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार करूँगा और फिर बताऊँगा कि क्या इसे सभा-पटल पर रखना आवश्यक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अर्थ यह है कि इसमें कुछ संदिग्ध बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात का निश्चय सरकार नहीं कर सकती कि इस करार की जानकारी देने का मामला लोक हित का है या नहीं। इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे कि क्या करार को सभा-पटल पर रखा जाय या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये उन्होंने कहा है कि वह करार मुझे दिखायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री महोदय और उनके साथी यह परस्पर विरोधी बात क्यों कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें अब इसी से संतुष्ट हो जाना चाहिये।

Sri K.N. Tiwary: It has been mentioned in 'Review of Food Scarcity Situation in India' that there will be a shortage of 6 million tons and under the agreement of P. L. 480, 2 million tons will be supplied by America in second half of the period. Wherefrom the shortage of 4 million tons would be met ? Whether negotiations with some other countries are in progress in this regard or will it be met by international procurement ? What has Government to say in this regard ?

श्री शिन्दे : हमने यह बात कही थी कि जून से लेकर वर्ष के अन्त तक हमारी आवश्यकता 60 लाख टन होगी। हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना अनाज कहां से प्राप्त किया जा सकता है। अमरीकी सरकार ने कहा है कि वह 30 लाख टन और अनाज इस शर्त पर देगी कि अन्य देश भी इतनी ही मात्रा में अनाज भेजें।

श्री ज्योतिमय बसु : तो हम सारे संसार से भीख मांग रहे हैं।

श्री शिन्दे : मैंने तथ्यों पर निर्धारित बात बताई है। हम कनाडा, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों से जो कुछ भी मिलेगा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री सी० जनार्धनन : पी० एल० 480 की निधियों का अमरीका द्वारा उपयोग किये जाने के बारे में की गई कई शिकायतों के कारण अमरीका की इन्टेलिजेन्स एजन्सी या अन्य एजण्टों द्वारा किसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही को रोकने के लिये क्या सरकार तत्काल कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शिन्दे : हमारे पास ऐसी घटनाओं की कोई सूचना नहीं।

श्री पी० सी० अदीचन : क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि 1971 में खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

श्री शिन्दे : जी, हां । हमारा इस समस्या के समाधान के लिये यही दृष्टिकोण है । खाद्यान्नों के आयात का काम कठिन होता जा रहा है और जब तक हम आत्म-निर्भर नहीं हो जाते अन्य बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । इस बात की घोषणा सरकार ने कर दी है ।

श्री वासुदेवन नायर : हमारे मित्र श्री अदीचन के प्रश्न के अनुसरण में कल जो हमें एक विवरण मिला है, उसमें लिखा है कि सरकार कहती है कि वर्ष 1966 के दौरान खाद्यान्न के आयात की कुल मात्रा 104 लाख टन थी जब कि 1965 में 75 लाख टन और 1964 में 63 लाख टन थी । प्रति वर्ष आयात की मात्रा बढ़ती जा रही है । 1971 तक वे आयात बन्द कैसे कर सकते हैं और ऐसा करने के लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य को यह पता ही है कि दो वर्ष लगातार सूखा पड़ा है । इसी लिये आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है । उत्पादन वृद्धि के लिये हमारे मुख्य आधार ये हैं :—वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, फसल उगाने का विज्ञान, उर्वरक, कृषि का आधुनिकीकरण और कुछ अन्य उपाय ।

Shri Onkar Lal Berwa : I have seen the wheat supplied under P.L. 480 in Rajasthan which is as hollow as husk. I want to know whether Government has prescribed any specifications for this wheat or they will continue to bring the same stuff ? Has the Government prescribed any standard for the wheat to be imported ?

श्री शिन्दे : हमने विभिन्न स्थानों पर अमरीका तथा अन्य देशों से प्राप्त होने वाली गेहूँ देखी है । हमने यह जानने के लिये ऐसा किया है कि क्या यह गेहूँ मनुष्यों के द्वारा खाये जाने योग्य है या नहीं और यदि माननीय सदस्य की विशेष शिकायत है तो हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे । परन्तु हाल ही में हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

Shri Onkar Lal Berwa : Has the Hon'ble Minister ever eaten it ?

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. Last time during the Monsoon Session Shri C. Subramaniam had to beg pardon because he had claimed that foodgrains supplied by U. S. A. were being checked in America. I contradicted that statement and gave proof in support thereof and then he had begged pardon and admitted that they had no arrangement for checking the foodgrains whereas we had imported foodgrains worth billions of Rupees. As he has just now stated that it was being checked at various points, I want to know whether these "various points" include American harbours also ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Sheo Narain : I want to know from the Government when they are going to stop supplies under P. L. 480 and whether they have requested for help from any socialist Countries also.

श्री शिन्दे : हमने सोशलिस्ट देशों से भी सहायता मांगी है । मैंने पहले ही अपना दृष्टिकोण बता दिया है । इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र आत्मनिर्भर होने में है ।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : क्या मद्रास के मुख्य मन्त्री श्री अन्नादुराई के वक्तव्य पर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह बर्मा की सरकार को, वहां से भेजे जाने वाले

व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के तौर पर, चावल सप्लाई करने के लिये पत्र लिखेंगे और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने यह समाचार आज समाचार पत्र में पढ़ा है । श्री अन्नादुराई यहां पर आ रहे हैं । यदि उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे ।

श्री श्रीपद अमृत डांगे : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि वर्ष 1952 से लेकर इस प्रकार की सीमाएँ कितनी बार निर्धारित की गई हैं और फिर वे कार्यान्वित नहीं हुईं ? (व्यवधान) हमें इसकी जानकारी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : A member of Cabinet should reply to this.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कंडप्पन : क्या उन्होंने ऐसा कहा है ? यह तो आप उनकी ओर से कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिये कहा था क्योंकि वह एकदम यह सूचना नहीं दे सकेंगे । (व्यवधान) ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वह सदन को सूचित करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : It is difficult. You are perfectly right, it is really very difficult for these Ministers.

श्री हेम बरुआ : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह करार को सभा-पटल पर रखने से पूर्व देखेंगे । जब करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं तो उसमें देखना क्या है ? क्या उन्होंने बिना देखे ही करार पर हस्ताक्षर किये थे या करार में कुछ संदिग्ध बात है जिसे वह संसद के सदस्यों से छिपाना चाहते हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह तो स्पष्ट ही है कि मैंने खाद्य मंत्रालय का कार्यभार अभी सम्भाला है । स्पष्ट बात यह है कि मैंने इस करार को पूर्ण रूप से अभी नहीं देखा है । मैंने कोई 'लोकहित' में किसी विशेषाधिकार के लिये नहीं कहा । जैसा मैंने कहा कि मैं इस करार को देखूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूँगा और सभा को भी सूचित करूँगा ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा व्यापार निषेध के विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : वह कई प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री ज्योतिमय बसु : मैंने तो नहीं पूछे ।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अभी 50 सदस्य बोलने का अवसर चाहते हैं । मैं क्या कर सकता हूं ? अगला प्रश्न ।

1971 के पश्चात रियायती दर पर आयात

*80. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि 1971 के बाद रियायती दर पर गेहूँ का आयात नहीं किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने अनाज के मामले में 1971 तक निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है ;

(ग) क्या अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1967-68 के लिए जोरदार कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एरिंग) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) तथा **(घ)** 1967-68 में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :—

(1) अधिक उत्पादक किस्मों का कार्यक्रम 15 मिलियन एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा।

(2) मल्टीपल क्रोपिंग प्रोग्राम लगभग 7.5 मिलियन एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा।

(3) उर्वरक 13.5 लाख टोन्ज निट्रोजन, पी 20 के 5 लाख टोन्ज तथा के 20 का 3 लाख टोन्ज विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध होंगे।

(4) 3.5 मिलियन एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्य किये जाएंगे।

(5) पौद रक्षण उपाय 126 मिलियन एकड़ भूमि तक बढ़ा दिये जाएंगे।

(6) कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण उपायों का लाभ 39 लाख एकड़ भूमि तक बढ़ा दिया जाएगा।

(7) बीज, कीटनाशक औषधियों, मशीनरी तथा ऋण की सप्लाई, विस्तार कर्मचारियों तथा किसानों के प्राध्यापन के लिए प्रबन्ध भी कर दिये गये हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know whether the hon. Minister proposes to take concrete steps from now onwards and during 1971 to revolutionise agriculture and whether he would intensify minor irrigation schemes in the drought affected areas of U.P. and Bihar where no irrigation facilities exist ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : जहां तक उत्तर प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है हमारे यहां छोटी सिंचाई के बहुत से कार्यक्रम हैं। हमने बिहार सरकार को भी बताया है कि लघु सिंचाई जैसे उन सहायता कार्यों के मार्ग में, जिन्हें वह आरम्भ करना वांछनीय समझें, वित्तीय प्रतिबन्ध नही आयेंगे। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में लघु सिंचाई के अन्तर्गत बड़े क्षेत्रों को लाने के लिये हमारे पास आयोजना की योजनाएं हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Sir the hon. Minister has not stated what revolutionery reforms he proposes to effect from now on and during 1971. What is the progress in respect of the programme of land ceiling and land reforms ?

श्री शिन्दे : सभापटल पर रखे गये विवरण में हमारी मुख्य नीति का स्पष्टीकरण किया गया है। भूमि सुधार एक पृथक समस्या है, जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है। वहां पर भी हमारी नीति यह रही है कि भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। जहां पर उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है, वहां हम राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिये मना रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा : सरकार उर्वरकों की जरूरत को किस प्रकार पूरा करेगी ? क्या किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का विचार अधिक उर्वरकों का आयात करने का है ।

श्री शिन्दे : इस सम्बन्ध में हमारी नीति इस प्रकार है । पहले तो यह कि हम स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के पास हमारे स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने का एक कार्यक्रम है । हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए हम आवश्यक मात्रा में उर्वरक आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 1967-68 के लिये कुल आवश्यकता इस प्रकार होगी : नाइट्रोजन 9.6 लाख टन, फॉस्फेट 3.5 लाख टन और पोटाश 1.3 लाख टन । इसमें से 5 लाख टन नाइट्रोजन देश में तैयार किया जायेगा और शेष का आयात करना पड़ेगा । 2.75 लाख टन फास्फेट देश में तैयार किया जायेगा और पोटाश का अपेक्षित मात्रा में आयात करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह सारा ब्योरा आवश्यक ही है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has referred to minor irrigation schemes in his statement. May I know whether minor irrigation includes the Construction of small wells, if so, whether the Central Government and the U. P. and Bihar Governments sanctioned an amount for the construction of wells in the drought affected areas of the two states under the minor irrigation schemes, if, so, whether the hon. Minister has received compliments to the effect that the wells constructed at the district level appear only on paper ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjiwan Ram) : I do not know how to answer it ?

श्री बलराज मधोक : भारत सरकार ने एक साथ ही कीटनाशी, उर्वरक आदि जैसी अनेक परियोजनाएँ आरम्भ कर रखी हैं इसलिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं बच रहती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की कड़ी आवश्यकता है, क्या सरकार इन अपेक्षाकृत कम आवश्यक योजनाओं को धन न देकर पूर्ण रूप से जल संभरण और लघु सिंचाई योजनाओं पर ही ध्यान देगी ? कृषक की तुरन्त आवश्यकता पानी की है । क्या सरकार सारी निधियाँ कृषक के लिए जल की व्यवस्था करने में लगायेगी ?

श्री जगजीवन राम : कृषक के विकास के लिए ये सब कारक महत्वपूर्ण हैं । परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि मैं सिंचाई–बड़ी और छोटी–पर सबसे अधिक बल देना चाहता हूँ और मैं कम से कम समय में अधिकाधिक लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा कराने का प्रयत्न करूँगा ताकि कृषि को उससे तुरन्त लाभ पहुँच सके ।

Shri Ram Sewak Yadav : Reply is not forth coming to my question regarding minor irrigation Scheme and progress made.

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई उत्तर नहीं है ।

Shri D. N. Tiwary : What are the results of the crash programmes started in certain districts in every state during the last years ? What additional production have they yielded ?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य शायद गहन खेती के जिलों या पैकेज के जिलों का जिक्र कर रहे हैं। मूल्यांकन दलों ने इसकी जाँच की है और हम देखते हैं कि पैकेज जिलों की पद्धति से कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इन जिलों में विकास की दर काफी अधिक है।

कुछ माननीय सदस्य उठे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को जो एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं नहीं बुला सकता हूँ।

श्री कंडप्पन : मैं प्रश्न संख्या 79 पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था। आपकी निगाह मैं नहीं पड़ सका। फिर मैं प्रश्न संख्या 80 पर खड़ा हुआ था ताकि आपकी निगाह पड़ सकूं। कल भी यही चीज दोहराई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए 100 माननीय सदस्य खड़े हो जायें तो क्या मुझे उन सबको अवसर देना चाहिए ? मैं एक माननीय सदस्य को केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा हूँ। श्री राम सेवक यादव कुछ पूछना चाहते थे और मैंने उन्हें अवसर दे दिया। दूसरे प्रश्न पर दल के नेता कुछ पूछना चाहते थे और मैंने उन्हें एक अवसर दिया। एक ही सदस्य को सभी प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि एक ही प्रश्न पर सभी माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये तो सारे प्रश्न काल में हमारे लिये 4 प्रश्नों को लेना भी सम्भव नहीं होगा···(**व्यवधान**)। शान्ति शान्ति। श्री गुप्त एक अनुपूरक पूछना चाहते थे और उनको एक अवसर दिया गया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको सभी प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूँ (**व्यवधान**)। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं किसी भी प्रश्न पर उन सभी माननीय सदस्यों को बुलाने के लिये तैयार हूँ जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। और अगले प्रश्न को मैं केवल तब ही लूंगा जब पिछले प्रश्न पर कोई भी माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने की इच्छा न रखेगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु तब हम केवल एक ही प्रश्न को ले पायेंगे। मैं तो सभा के हाथों में हूँ। इस ओर से भी कई सदस्य उठे थे। यदि सभा का ऐसा ही सुझाव है कि मैं उन सभी सदस्यों को बुलाऊँ जो उठते हैं तो मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ।

श्री कंडप्पन : जब कि कुछ ग्रुपों के सदस्यों को दो या तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है, मेरे ग्रुप के एक भी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। वह किसी अन्य सदस्य की अपेक्षा अधिक विषेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। मेरे लिये सभी माननीय सदस्य समान हैं।

श्री कंडप्पन : परन्तु यह घोर अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है ऐसा हो। आप इसको ऐसा समझते हों। मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।(**व्यवधान**)

श्री तुलसीदास जाधव : मेरा सुझाव है कि आप बारी-बारी दोनों ओर से एक-एक सदस्य को बुलायें।

श्री मनुभाई पटेल : पीछे बैठने वालों को भी।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में मैं ऐसा करूँगा। मैं बारी-बारी दोनों ओर से एक एक सदस्य को बुलाऊँगा।

कृषि इंजीनियर

*81 **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में इस समय कृषि इंजीनियरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एरिंग) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी योजना के शुरू में देश में केवल दो कृषि संस्थायें थीं जिनमें दाखिले की क्षमता कम थी और जो कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री देते थे।

(ग) (1) कृषि इंजीनियरों की कमी को पूरा करने के लिए तीसरी योजना के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि इंजीनियरिंग कालिज खोले गए।

(2) मौजूदा कालिजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाई जा रही है।

(3) चौथी योजना के दौरान 1966 में उड़ीसा के कृषि विश्वविद्यालय में एक नया कृषि इंजीनियरिंग कालिज शुरू किया गया था और जुलाई, 1967 में जे० एन० के० विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश) में एक कालिज खोला जा रहा है। चालू योजना के उत्तरकालीन वर्षों में मैसूर, पश्चिम बंगाल (कल्याणी) और आन्ध्र प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में तीन और कालिज खोले जाने की सम्भावना है।

Shri Yashpal Singh : Is the hon. Minister in a position to state our present requirement of engineers as also their present availability in the Country ? By what time shall we be able to meet this shortage ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शिन्दे) : चतुर्थ योजना के अन्त तक हमें 200 स्नातकोत्तरों और 600 स्नातकों की आवश्यकता होगी। इस समय हमारे पास प्रतिवर्ष केवल 200 स्नातकोत्तरों के लिये सुविधाएं हैं और योजना के अन्त तक लगभग 500 स्नातकों के लिये। अतः आवश्यकता और संभरण में पर्याप्त अन्तर है।

Shri Yashpal Singh : Instead arranging them from outside why do the Government not develop the Pusa Institute to such an extent as would meet our annual requirements ?

श्री शिन्दे : अब कई एक संस्थानों के स्थापित किये जाने की संभावना है। इस समय हमारे देश में पांच संस्थान हैं--इलाहाबाद कृषि कालिज, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर, उत्तर प्रदेश कृषि कालिज, उदयपुर विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कुछ अन्य राज्यों में इंजोनियरी के पाठ्यक्रम हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Just now the hon. Minister mentioned the names of four states, vig., Orissa, Mysore, Maharashtra and Uttar Pradesh. After all what sin Rajasthan has committed that itsat name has not been mtioned ? If you have any funds left with you, I want to know wh arrang eevnhaɔy ꟹ ʇuǝɯmade for Rajasthan.

श्री शिन्दे : मैंने उदयपुर का नाम पहले ही ले दिया है। मैं नहीं जानता था कि माननीय मन्त्री नहीं जानते कि उदयपुर राजस्थान में है।

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार के पास अधिक कृषि इंजीनियर तैयार करने के लिये गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री शिन्दे : इस मामले में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हमने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया है। अधिकांश राज्य ऐसा करने के लिये आगे आये हैं। मैं चाहता हूँ कि गुजरात सरकार भी एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिये आगे आये। सहायता के तरीके के अनुसार उनको आवश्यक सहायता दी जायगी।

श्री रामकिशन : क्या माननीय मन्त्री को पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय से कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि वह अधिक इन्जीनियरों की शिक्षा के लिये व्यवस्था करने के लिये तैयार है बशर्ते के उसको अधिक निधियाँ दी जायें।

श्री शिन्दे : सभी कृषि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने के लिये हमारे पास सामान्य तरीका है। विकास कार्यों के लिये हम उन्हें पर्याप्त अनुदान देते हैं। अतः यदि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को सहायता नियमों के अन्तर्गत सहायता दी जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि आवश्यक सहायता दी जायगी।

Shri Buta Singh : The Science graduates from the Agricultural University, Ludhiana, are offered very meagre salaries when they go to seek employment as a result of which there was an agitation there. What steps are Government taking to make an upward revision in the pay scales of the graduates ?

श्री शिन्दे : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री धीरेश्वर कालिरा : क्या आसाम में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए आसाम सरकार ने कोई प्रार्थना भेजी है ?

श्री शिन्दे : वास्तव में स्थिति यह है कि हम राज्य सरकारों को यह सुझाव दे रहे हैं कि वे कृषि विश्वविद्यालय खोलें और कुछ राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों को खोलने में हिचकिचा रही हैं।

श्री जे० एम० विसवास : इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री धीरेश्वर कालिरा : मैं जानता हूँ कि आसाम सरकार ने कई बार प्रार्थना की है।

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमारी योजना प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तरीके पर ही उन कृषि कालिजों को सहायता देने का एक तरीका है। मैं चाहता हूँ कि वे सभी राज्य सरकारें जहां पर ऐसे कालिज नहीं हैं यथा शीघ्र एक कृषि कालिज स्थापित करें...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आसाम सरकार ने एक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की सिफारिश की है।

श्री जगजीवन राम : मैं इसकी जांच करूंगा। इसको शीघ्र करने के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है मैं करूंगा।

श्री रणधीर सिंह : पंजाब विश्वविद्यालय के हिसार स्थित अंग को विश्वविद्यालय स्तर तक उठाने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों का बेड़ा

+

*83 **श्री स० चं० सामन्त** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में अब तक एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के बेड़े में कितने और किस-किस किस्म के विमान बढ़ाये गये हैं ; और

(ख) क्या ये कारपोरेशन मुनाफे में चल रही हैं और यदि हाँ, तो वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में अब तक इन्हें कितना मुनाफा हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) :

(क) 1966-67 के दौरान दो एयर कारपोरेशनों के विमान के बेड़े में बढ़ाये गये विमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	वायुयानों की किस्म	संख्या
एयर इंडिया	बोइंग 707-320 बी	1
	बोइंग 707-320 सा	1
		2
इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन	कारवेल	2
	एफ-27 फ्रेण्डशिप	3
	वाईकाउण्ट (सेकण्डहैण्ड)	2
		7

(ख) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के दौरान दो एयर कारपोरेशनों द्वारा अर्जित लाभ निम्न प्रकार है :—

	लाभ (+)	हानि (-)
वर्ष	एयर इंडिया	इंडियन एयर लाइंस
1964-65	(+) 304.15	(+) 132.01
1965-66	(+) 163.56	(+) 32.33
1966-67 (प्राक्कलित)	(+) 387.00	(-) 460.55

श्री सं० चं० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि 1966-67 में 3 एफ .27 फ्रेंडशिप विमान खरीदे गये थे। राष्ट्रायकरण के पश्चात सरकार के पास इसी किस्म के जो फालतू विमान थे उनका क्या बना ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जहां तक में जानता हूँ कोई भी फ्रेन्डशिप विमान फालतू नहीं है, उन सबको काम में लाया जा रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या देश में यात्री विमानों के निर्माण के लिये भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमें अपने विमानों की संख्या में प्राय वृद्धि करनी पड़ती है ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य को पता है कि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड 'एवरो' विमानों का निर्माण कर रहा है। वे यात्री विमान हैं। अभी उनके देने में कुछ देर हो गई है, परन्तु अगले दो वर्षों में वे हमें 9 विमान देने जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड कानपुर ने इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को 9 एवरो-748 विमान देने का वचन दिया था परन्तु चूंकि अवमूल्यन के बाद आयातित पुर्जों की लागत बढ़ गई है इसलिये एवरो-748 के मूल्य के बारे में कुछ मामला चल रहा है ? क्या यह तय हो गया है ?

डा० कर्ण सिंह : मामले पर हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत की जा रही है। मोटे तौर पर इसको तय कर लिया गया है और अब अगले दो वर्षों में अर्थात 1967-68 और 1968-69 के अन्दर-अन्दर उन्होंने 9 विमान देने का निश्चय किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

डा० कर्ण सिंह : मैं मानता हूँ इसमें विलम्ब हुआ है।

श्री म० रं० कृष्ण : एवरो-748 विमानों के लिये सम्विदा पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि अप्रैल में ही इनको इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को दे दिया जाना था और क्या हैदराबाद में ओवरहालिङ्ग की सुविधाएँ देने का काम पूरा हो गया है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया निर्माताओं की ओर से कुछ विलम्ब किया गया था। अब इस काम को द्रुत गति से किया जा रहा है। वास्तव में निर्माताओं द्वारा हमें 9 एवरो-विमान न दिये जाने के कारण काम में काफी रुकावट आई है। हम तेजी से मामले का अनुसरण कर रहे हैं। जहां तक हैदराबाद में ओवरहाल की सुविधायें देने का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्डियन एयरलाइन्स के कुछ कैरवल विमान दुर्घटनाओं में नष्ट हो गये हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : एक कैरवल विमान इस वर्ष खरीदा जायेगा। इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष और वित्तीय नियन्त्रक बातचीत को शीघ्र निपटाने के लिये पैरिस गये थे। आशा है कि यह विमान हम अगले वित्तीय वर्ष में अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

श्री हेम बरुआ : यह मेरा प्रश्न नहीं है। पिछली बार इस सभा में बताया गया था कि अधिक कैरबल विमान प्राप्त किये जायेंगे जो कि दुर्घटनाओं से पूर्व इन विमानों की संख्या से अतिरिक्त होंगे। दुर्घटनाओं के पश्चात इन नष्ट हुए विमानों की कमी को पूरा करने के लिए

सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जो कि उन विमानों से अलग हैं जिन्हें सरकार वर्तमान संख्या में वृद्धि करने के लिए खरीदना चाहती है ?

डा० कर्ण सिंह : जो विमान नष्ट हुए थे उनके स्थान पर नये विमान पहले ही खरीद लिए गये थे और ये दोनों उनके अलावा हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इन्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन ने भारतीय वायुसेना से दो वाइकांउट विमान अर्जित किये और यदि हां, तो उनके लिए क्या मूल्य चुकाया गया है।

डा० कर्ण सिंह : भारतीय वायु सेना से दो पुराने वाइकांउट विमान लिए गये थे। मूल्य के बारे में अभी बातचीत चल रही है।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि इन्डियन एयर लारंस कारपोरेशन के बहुत से वाइकांउट विमान की जीवन अवधि समाप्त होने जा रही है और यदि हां, तो उनको बदलने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : वाइकांउट विमानों को बदलने के इस प्रश्न पर एक विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है और वाइकांउट विमानों की जीवन अवधि के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं है। समिति का प्रतिवेदन अगले दो महीनों में प्राप्त हो जायेगा और तब हम अधिक जानकारी दे सकेंगे।

डा० कर्णी सिंह : माननीय मन्त्री ने कहा कि चार्टर बिमानों के लिए इस देश में बड़ी मांग है। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से चार्टर विमान प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या सरकार के पास चार्टर प्रयोजनों के लिये दो इंजन वाले विमान खरीदने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य की यह बात बिलकुल सही है कि चार्टर विमानों के लिए बड़ी मांग है। इस समय हमारे पास ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं। परन्तु मामले पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह प्रतीत होता है कि इन्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन का मुनाफा 1964–65 में 133.01 लाख रु० से गिर कर 965–661 में 32.33 लाख रु० रह गया और 1966–67 के प्राक्कलनों के अनुसार 460.65 लाख रु० की और हानि होने की आशंका है। मैं नहीं समझता कि ये आंकड़े गलत छपे हों। यदि ये आंकड़े सही हैं तो अनुमानों में और वास्तव में भी इस असाधारण उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे खेद है कि इनके छपने में कोई गलती नहीं है। वास्तव में चालू वर्ष में हमें पर्याप्त हानि होने की आशंका है। उसके अनेक कारण हैं। अवमूल्यन से इन्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन को कई तरीकों से हानि पहुँची है जैसे कि विदेशों से उधार लिये गये सामान पर ब्याज का बढ़ जाना, फालतू पुर्जों के मूल्यों का बढ़ जाना और बीमा के शुल्क का बढ़ जाना आदि। फिर हमारा बजट 6 कैरवल विमानों पर आधारित था परन्तु उनमें से एक नष्ट हो गया और उससे भी काफी क्षति पहुंची है। तीसरे, वेतनों में भी वृद्धि की गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सुझाव दिया था कि इन्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन की दरें एयर इन्डिया की

दरों के समान की जायें और इससे हमें 1.5 करोड़ रु० की हानि पहुँची है। चौथे, कुछ डकोटा विमान हैं जिनको चलाना बहुत अलाभप्रद है। परन्तु जब तक हम उनको नहीं बदल देते हमें उनको चलाना पड़ेगा। इसलिये हमें भारी हानि हो रही है। चालू वर्ष में अनुमानित हानि के अनेक कारण हैं।

श्री एस० के० तापरिया : माननीय मन्त्री ने डकोटा विमानों के हानि से चलाये जाने के बारे में अभी बताया। ऐसा हम काफी समय से सुन रहे हैं। उनको बदलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनका चलाया जाना कब बन्द किया जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : जल्दी या देर से एवरो विमान डकोटा विमानों का स्थान लेंगे। इन विमानों को बदलने के तुरन्त दूसरे विमान लेना आसान नहीं है। हम यथाशीघ्र उनको बदलना चाहते हैं क्योंकि डकोटा विमान की प्रत्येक उड़ान से हानि होती है।

श्री एस० के० तापरिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इनको कब बन्द किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस समय उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : स्थिति को ठीक करने के लिये माननीय मन्त्री क्या करने जा रहे हैं ? सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी कारखानों में हमें प्रति वर्ष हानि हो रही है।

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया एवरो विमान काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। केवल हानि होने की बिना पर ही सारे विमानों का चलाया जाना बन्द नहीं किया जा सकता है। उनको जारी रखना पड़ेगा क्योंकि वे लोक उपयोगी हैं। परन्तु ऐवरो विमान यथाशीघ्र उनका स्थान ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया यह दुर्भाग्य की बात है कि निर्माताओं ने एवरो विमानों को पूरा करने में विलम्ब किया।

Shri Tulsi Das Jadhav : Which of the air-routes, viz., Bombay-Delhi, Bombay-Calcutta, Delhi-Calcutta, is most uneconomical and since when ; what is the quantum of loss sustained ?

Dr. Karan Singh : I do not have the break-up of all the routes. The overall A. I. C. figure is before you.

Shri Balraj Madhok : The hon. Minister stated that the Viscounts will be sooner or later replaced by the Avros. What does he mean by "sooner or later" and is there not fixed time table in this regard ?

Dr. Karan Singh : I used the words "sooner or later" for the simple reason that we have got a number of Dakotas and as soon as we get the Avros from the factory we shall replace the Dakotas. More than this I cannot say at this moment.

Shri Sheo Narain : May I know the time by which small stations like Gorakhpur, Banaras, Lucknow and Bareily etc. will be linked by air service ?

Dr. Karan Singh : It has always been our endeavour to intensify the air-service to the maximum, but we do not have enough aircrafts to cope with this. This question is considered every year and we introduce air service at all those places where it is possible for us to do so.

Shri George Fernandes : At the time of the purchase of the Friendship it was stated that these aircrafts would gradually replace the Dakotas. But from today's statement of the hon. Minister it appears that arrangements are being made to replace Dakotas by Avro-748. Which of these two is correct ?

Dr. Karan Singh : We had purchased 2 F. Friendship aircrafts last year. The speciality of Avros is that they are manufactured in our own country.

Shri S. A. Dange : Avro has an English engine. It is an English aircraft.

Dr. Karan Singh : Therefore it will be our effort to make use of the Avro aircraft. We will try to replace Dakotas by these two types of aircrafts.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I rise on a point of order.

Shri George Fernandes : My submission is that when F. Friendship aircrafts were being procured at that time the Government stated that F. Friendship aircrafts would displace Dakotas. Now it is being stated that we will replace Dakotas by Avro-748 gradually. It appears that Government intends to retain Dakotas and run I. A. C. in loss otherwise efforts should be made to materialise the first proposition.

Dr. Karan Singh : I. A. C. is anxious to replace the Dakotas at the earliest and there cannot be two opinions about it since we are not profiting by the Dakotas. Now the question is in what manner to replace the Dakotas. Last year we purchased three F. Friendship aircrafts. The others are Avros which are being manufactured in our own country. As and when we are able to get these two types of aircrafts in the requisite number, we shall replace Dakotas.

APEEJAY SHIPPING COMPANY

* 84. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the Half-an-Hour discussion on Apeejay Shipping Company held on the 1st December, 1966 and state :

(a) whether Government have taken any legal action against Apeejay Shipping Company which tried to cheat Government ;

(b) whether other Government Departments have been advised not to have any dealings with this Shipping Company at Government level ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग), अब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । तथापि, सरकार इस मामले पर आगे विचार कर रही है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, now the Government have categorically stated that they have not taken any action so far and it is only after receiving the notice of my question that they have been set to thinking. This matter is pending for a long time. I would quote only two sentences from Shri Patil's statement. Therein it is said :

> "1962 के दौरान, जब श्री पाटिल केन्द्रीय खाद्य मन्त्री थे, बर्मा से आयात किये गये चावल की मात्रा में कमी के लिये श्री पाटिल पर संयुक्त समाजवादी दल के नेता श्री मधु लिमये द्वारा लगाये गये आरोप का उत्तर देते हुए श्री पाटिल ने कहा,—"यह बिलकुल बकवास है । ऐसी कोई बात नहीं हुई । सारा मामला अवर सचिव के स्तर पर निपटा दिया गया था ।"

This I am reading out from "Bharat Jyoti" of 11th September, 1966. Further, he says :

> "खाद्य मंत्रालय के अवर सचिव को एक रिपोर्ट मिली कि एक जहाज पर चावल की बोरियों के स्थान पर खाली बोरियां भेजी जा रही थीं । ज्यों ही यह सूचना मिली, अधिकारी ने अपने स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही की । मामला उप-सचिव के स्तर तक भी नहीं आया ।"

We are pursuing this matter since September. Again this matter was discussed in the half-an-hour discussion during the Winter Session. Even there Government misstated certain facts. Several matters had come up about Amin Chand Piarey Lal Company—the said Shipping Company also belongs to them. Just now the Law Ministry has done some work to exonerate that company. A short notice question was also put up in this connection, but the hon. Minister was not prepared for that. In view of the fact that this company had made an attempt to cheat the Government-Shri Govind Menon himself had said so last time—, why has no action been taken against it so far and why has not been blacklisted so far ? In 1963 it was blacklisted once, but later, its name was struck of the list. How can it go like that ? Just to mislead the people Shri Patil had threatened to file a suit against me. Now the cat is out of the bag. (interruptions)

An hon. Member : The hon. Member is delivering a lecture or asking a question ?

Shri Madhu Limaye . Sit silently, otherwise you will also meet the same fate as Shri Patil met.

श्री शिन्दे : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मामले पर आगे विचार किया जा रहा है। लोहा तथा इस्पात मंत्रालय ने मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ सौदे करने पर पाबन्दी लगाने के एक आदेश मई, 1966 में जारी किया था। परन्तु इस आदेश के विरुद्ध फ़र्म और इसकी अन्य कम्पनियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक लिखत याचिका दे दी थीं और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में इस आदेश को क्रियान्वित न करने के लिये एक रोको आदेश जारी कर दिया। हम इसकी पेचीदगियों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या हम इस मामले में आगे चल सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Since this matter is now **subjudice,** will the hon. Minister lay all the document relating to this on the Table of the House after having shown them to you and after having conferred with you so that the House and the country may know what the facts are ? Stnce he spoke of Prosecuting me just to shut my mouth and to win the election, it is all the more necessary that all the papers relating to this matter contained in the official files be laid on the Table of the House.

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagjivan Ram) : As my colleague just now stated that after receiving notice of this question we looked into this matter and we considered it necessary to examine the implication and see whether we can proceed in this matter and therefore it has been replied that we are soon referring this matter to the Ministry of Law with a view to ascertaining whether we can proceed departmentally in this matter or we can move the Court. This matter is not **sub-judice.** The matter which is sub-judice and to which my colleague referred relates to some other Shipping Company.

Shri Madhu Limaye : I know. Teach your ministers.

श्री शिन्दे : मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है।

Shri Jagjivan Ram : This matter is not subjudice as we have not moved the Court. Very soon we want to have the advice of the Ministry of Law to know whether we can take legal or departmental action.

श्री स० मो० बनर्जी : खाद्य मन्त्री जी को पता है कि पाटिल की हार का यह भी एक कारण है। क्या सभी कागजात देखने के बाद यह मामला सी० बी० आई या सी० आई० बी० को पूरी जांच के लिये सौंपा जायेगा क्योंकि हमें यह पता है कि इस सोदे में श्री एस० के० पाटिल और कई अन्य वरिष्ठ सदस्यों का हाथ है ?

श्री जगजीवन राम : यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या उपलब्ध सामग्री और लगाये गये आरोपों के आधार पर पार्टी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या कोई विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इस बारे में मैं मंत्रालय से बातचीत करूँगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मन्त्री महोदय कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इस कम्पनी ने सरकार को धोखा दिया। सरकार ने इस कम्पनी को फौरन काली सूची में क्यों नहीं रखा ?

श्री जगजीवन राम : जब उसी कम्पनी के दूसरे विभाग के विरुद्ध कार्यवाही की गई तो वह मामला उच्च न्यायालय में उठाया गया। इसलिये शायद सावधानी के तौर पर वह कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हम मामले की पूरी तरह जांच कर रहे हैं।

Shri Ram Sevak Yadav : The hon. Minister has said that departmental and other action will be taken after consulting the Home Ministry. Would that departmental enquiry have any effect on the Apeejay Company or only on the concerned officers ?

Shri Jagjivan Ram : It has its effect on both.

श्री के० लक्कप्पा : मन्त्री महोदय ने बताया कि कार्यवाही की जायेगी और वे इस बारे में विचार कर रहे हैं। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि कानूनी कार्यवाही केवल दण्ड संहिता के अन्तर्गत की जायेगी या केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। यह मामला एक कम्पनी द्वारा सरकार को धोखा दिया जाने का है और इसलिये यह दण्ड संहिता के अन्तर्गत आता है।

श्री शिन्दे : कानूनी विशेषज्ञ या विधि मंत्रालय जो भी कार्यवाही किये जाने का सुझाव देंगे, वह की जायेगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि यह सारा मामला सतर्कता आयुक्त को इस कम्पनी पर सरकारी विभागों से ठेके करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में राय देने के लिये सौंपा गया था और आयुक्त की यह राय थी कि क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिये इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ? क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री जगजीवन राम : मैं इस पर ध्यान दूँगा।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीजे शिपिंग कम्पनी ने कई बार सरकार को धोखा देकर कई उद्योग स्थापित कर लिये हैं और यह भारत-विरोधी कार्यवाहियों में लगे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भी पोषण कर रही है। क्या उप-प्रधान मन्त्री इस कम्पनी की गतिविधियों के बारे में एक जांच आयोग स्थापित करने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्या इसलिये कि अकेले कलकत्ता में ही इस एपीजे शिपिंग कम्पनी ने ही कांग्रेस के चुनाव कोष में 4 लाख रुपये दिये थे।

अध्यक्ष महोदय : किसने किस पार्टी को कितना धन दिया—ये आंकड़े, मैं समझता हूँ, उनके पास नहीं हैं।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि मेरे पास सूचना भेजी जाये तो मैं निश्चित ही जांच करूँगा।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मन्त्री महोदय ने बताया कि वह कानूनी अथवा विभागीय कार्यवाही के बारे में सम्बन्धित विभागों से परामर्श कर रहे हैं। क्या सरकार और कम्पनी के बीच कोई मौजूदा ठेका है। यदि हां, तो क्या सरकार इसको फौरन समाप्त करेगी जब तक कि कानूनी अथवा विभागीय कार्यवाही के बारे में जांच न हो जाये।

श्री शिन्दे : कोई मौजूदा ठेका नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह फर्म अभी भी बर्मा से चावल भारत ला रही है। इसकी भी जांच की जायेगी।

श्री मनुभाई पटेल : सरकार ने देखा कि इस कम्पनी में कुछ खराबी है और इस बारे में कानूनी तौर पर जांच की जानी है। वह इस कम्पनी के साथ सभी सौदे बाजी क्यों नहीं रोकती ?

श्री शिन्दे : जैसा मैं बतला चुका हूँ, इसकी भी जांच की जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

*85. **श्री रा० बरुआ** :

श्री सी० सी० देसाई :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष मनाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 110/67]

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार ने होटलों में पर्यटकों के लिए शय्याओं की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगा लिया है और क्या इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनका निकट भविष्य में पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : होटलों की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष के अन्त तक पर्यटक विकास निगम द्वारा 1200 शय्याऐं उपलब्ध की जायेंगी और 900 शय्याएं गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध की जायेंगी। इसके अतिरिक्त हमें आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ और होटल भी बनेंगे। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इस सबसे हमारी माँग पूर्णतः पूरी न हो सकेगी।

श्री रा० बरुआ : क्या सामान्य साधन वाले पर्यटकों के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : जी, हां। ये होटल 3 स्टार से 5 स्टार तक के विभिन्न वर्गों के लिए होंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या विभिन्न पर्यटक केन्द्रों को विमान यातायात द्वारा सम्बद्ध करने का कोई कार्यक्रम है ?

डा० कर्ण सिंह : अनेक पर्यटक केन्द्र विमान यातायात से सम्बद्ध हैं और अन्य स्थानों को भी हम इससे सम्बद्ध करने के बारे में विचार कर रहे हैं। कोणार्क और एलोरा जैसे स्थानों को विमान यातायात से सम्बद्ध करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

Shri Kamal Nayan Bajaj : Is the Hon. Minister aware that there is great shortage of hotel accommodation for tourists which cannot be met ? Some tourists iike to live in houses in Indian style and for that whether some such efforts can be made so that we can recognise that Indians keep them in their houses comfortably and fix their rent and grade them. This can meet to some extent requirements for hotel accommodation and the tourists will have the oppor tunity to see the Indian culture and way of living ?

Dr. Karan Singh : There is no such arrangement for keeping tourists in private houses and this is difficult for us too. This is a different matter if some tourist lives with some Indian in a friendly capacity.

श्री हेम बरुआ : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस देश में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष समारोह के बारे में विदेशों में कोई प्रचार नहीं किया गया और ऐसा एक कनाडा के पर्यटक ने कहा और अमरीकी पर्यटकों को इस बारे में तब पता चला जब वे पालम हवाई अड्डे पर उतरे और यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त प्रचार न करने की जिम्मेदारी लेती है ?

डा० कर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष वह वर्ष है जो संसार भर में मनाया जाता है और हमारे देश में भी यह मनाया जा रहा है। हमारे लिए इसका विशेष रूप से प्रचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि संसार भर में ऐसा हो रहा है। तथापि, इस वर्ष निकाले गये पर्यटक साहित्य में इस अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष समारोह का विशेष उल्लेख है।

श्री आर० के० सिन्हा : क्या भारत के पर्यटक मानचित्र में भगवान राम के जन्म-स्थान, अयोध्या को भी शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहां पर मन्दिरों की और आवास की स्थिति बहुत दयनीय है और इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में कोई पर्यटक साहित्य भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम बिना पूर्व सूचना दिये पृथक-पृथक मामले नहीं उठा सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ और इस बारे में जो भी कुछ हम कर सकते हैं, करेंगे।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्यटन विदेशी मुद्रा की आय का एक महत्व पूर्ण साधन है और भारत में कलात्मक और वास्तु शिल्प--कृत्रिम और प्राकृतिक--अनेक स्थान हैं जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है लेकिन फिर भी विदेशी पर्यटक दो कारणों से भारत में नहीं आ रहे हैं। एक तो यह कि पर्यटकों को अनुचित रुप से तंग किया जाता है और दूसरे चम्बा और बरावा जैसे अन्य पर्यटक केन्द्रों तक अभी पहुँचा नहीं जा सकता है। क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है।

डा० कर्ण सिंह : इस देश में विदेशी पर्यटकों के लिये हम हर सम्भव सुविधायें दे रहे हैं। कुछ प्रतिबन्ध हैं और हर देश में कुछ प्रतिबन्ध हैं लेकिन उन पर निरन्तर विचार किया जाता है—(अन्तर्बाधा)

Shri Onkar Lal Vohra : May I know when the scheme to develop the Udaipur Airport will be implemented as Udaipur and Chittor are of historical importance from the

tourists point of view. At present no viscount aircraft can land there and as such it creats much difficulty for tourists and they have to go there via. Ahmedabad. It is very essential to develop the Udaipur Airport and the tourists should be given the advantage of air service.

श्री बलराज मधोक : उन्होंने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

डा० कर्ण सिंह : श्री मधोक ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया । बरावा और चम्बा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटक केन्द्र बन सकते हैं । मैं इस ओर ध्यान दूँगा और इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, करूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : उदयपुर हवाई अड्डा भी ।

डा० कर्ण सिंह : जी, हां । हम इस बारे में भी विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हवाई अड्डों पर जलपान यह

* 86. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचनाएँ मिली हैं कि हवाई अड्डों पर स्थित जलपान गृहों में भोजन तथा जलपान-सामग्री किसी सामान्य जलपान गृह की तुलना में दुगुने से लेकर चौगुने दामों में मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डों पर स्थित जलपान गृहों में हो रही मुनाफाखोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : हवाई अड्डों पर स्थित जलपान-गृहों में दिये जाने वाले अधिकांश भोजन एवं पेय पदार्थों की कीमतें नागर-विमानन विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये कीमतें नगर के प्रथम कोटि के जलपान-गृहों या होटलों में उपलब्ध भोजन आदि की कीमतों जैसी ही हैं । ऊँची कीमतों के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन अधिकतर ये शिकायतें निम्न कोटि के जलपान-गृहों व होटलों में प्राप्त होने वाले भोजन आदि की कीमतों के आधार पर ही की गई पायी गईं । अधिकृत दरों से अधिक कीमत लेने की कोई शिकायतें नहीं हुई हैं ।

मैक्सिकन किस्म का गेहूं और बाजरा

*87. **डा० कर्णी सिंह जी** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में मेक्सिकन किस्म का गेहूँ तथा संकर (हाइब्रिड) बाजरा पैदा करने के लिए सरकारी कृषि प्रदर्शन फार्मों में कोई अनुसंधान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों अनाजों की प्रति एकड़ उपज कितनी है; और

(ग) देश भर में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन किस्मों के अनाजों का विस्तृत प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मेक्सिकन गेहूँ तथा संकर बाजरे के विषय में गंगानगर क्षेत्र में कोई प्रयोग किये गये हैं या नहीं इसके बारे में राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है ।

(ख) देश भर में जो राष्ट्रीय प्रदर्शन किये गये हैं उनके परिणामों से पता चला है कि राजस्थान में सोनारा 64 से औसतन 4852 किलो प्रति हैक्टेअर उपज प्राप्त हुई है । बाजरे के विषय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिस 325.0 लाख एकड़ भूमि को अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था उसमें मेक्सिकन गेहूँ के लिए 80.0 लाख एकड़ तथा संकर बाजरे के लिए 40.0 लाख एकड़ भूमि भी शामिल है । अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम को 1966-67 के शुरू में आरम्भ किया गया था । 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में गेहूं की मेक्सिकन किस्म तथा संकर बाजरे की खेती का क्षेत्र निम्न प्रकार था :—

(लाख एकड़ों में)

वर्ष	मेक्सिकन गेहूं	संकर बाजरा
1966-67		
खरीफ (वास्तविक)	–	1.01
रबी । ग्रीष्म (लक्ष्य)	15.48	0.93
कुल :	15.48	1.94
1967-68		
खरीफ (लक्ष्य)	–	10.57
रबी / ग्रीष्म (लक्ष्य)	45.56	1.50
कुल :	45.56	12.07

अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिए बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ।

खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज सहायता का बन्द किया जाना

* 88. **श्री सेझियान** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को भेजे जाने वाले खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज-सहायता को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को दी जा रही राज-सहायता की दर तथा मात्रा में समान प्रणाली अपनाई गई थी; और

(ग) दी जाने वाली राज-सहायता किन कारणों से बन्द की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ग) खाद्यान्न नीति समिति की सिफारिशों के अनुसरण में नवम्बर, 1966 में जो मुख्य

मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय भण्डारों से दिये जाने वाले खाद्यान्नों पर धीरे-धीरे उपदान देना बन्द कर दिया जाना चाहिये। इस सुझाव को कार्यरूप देने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) जी हाँ। केन्द्रीय भण्डारों से इकनामिक्स लागत से कम मूल्यों पर दिये जाने वाले खाद्यान्नों पर जो उपदान की राशि दी जाती है उसका प्रतिरूप विभिन्न राज्यों के बीच एक जैसा है। तथापि प्रत्येक राज्य में उपदान की मात्रा भिन्न-भिन्न है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

*89. **श्री तेन्नती विश्वनाथन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड घाटे में चल रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारखाने को मुनाफे में चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) समुद्रपार के देशों के सुस्थापित शिपयार्डों में बनने वाले जहाजों के मूल्य से हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनने वाले उसी प्रकार के मिलते जुलते जहाजों का मूल्य अधिक आता है। चूंकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज भारत में जहाज मालिकों को उसी प्रकार के मिलते जुलते जहाजों के विश्व-मूल्य पर दिये जाते हैं अत: इस शिपयार्ड को हानि होती है।

(ग) उत्पादन अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाने, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्रिया विधियों को पुनरनुस्थापन करने और मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। आशा की जाती है कि इन उपायों के फलस्वरूप इस शिपयार्ड के कारबार में सुधार होगा।

केरल को खाद्यान्न का दिया जाना

*90. **श्री आरंगिल श्रीधरन :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री पी० सी० अदीचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) केरल के लिए खाद्यान्नों का कोई निर्धारित मासिक कोटा अथवा आवंटन नहीं है। केरल में अनौपचारिक राशनिंग की आवश्यकताओं को खाद्य निगम के डिपों से सप्लाई कर पूरा किया जाता है। वास्तव में केरल सरकार की मांग अतिरिक्त आवंटन के लिए नहीं है वरन् वहां

की अनौपचारिक राशन व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों को भेजने की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

परादीप पत्तन का मछली पकड़ने के बन्दरगाह के रूप में विकास

*91 **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में परादीप पत्तन को मछली पकड़ने के बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस परियोजना का ब्यौरा राज्य सरकार के सहयोग से तैयार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री शिन्दे) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

गन्ने का उत्पादन

*92. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उमानाथ : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ है और क्या इसका कारण सरकार द्वारा गन्ने की कीमत कम निर्धारित किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चीनी मिल संस्था के प्रधान के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि गन्ना उत्पादकों को गन्ने की लाभप्रद कीमत नहीं दी जायेगी, तो चीनी की अत्यधिक कमी हो जायेगी और इसका आयात करना अनिवार्य हो सकता है; और

(घ) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : 1966-67 में चीनी उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सूखे की स्थिति जो कि बुवाई तथा विकास की अवधि में चलती रही, के कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है। यह दिखायी देता है कि इस वर्ष गन्ने की उपज कम होगी।

(ग) जी हां।

(घ) आगामी वर्ष के लिये गन्ना बोने के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

छोटी सिंचाई योजनाएं

*93. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के सभी सदाजल संसाधनों को देश में छोटी सिंचाई के लिये प्रयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष धन दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 111/67]

चीनी का मूल्य

*94. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में देश के कुछ भागों में चीनी के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में थोक तथा खुदरा भावों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) मूल्यों में हुई इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 112/67]।

(ग) चीनी के मूल्य में वृद्धि गन्ने के मूल्य में वृद्धि, पन्ना पेरने की प्रत्याशित कम अवधि और लागत की कुछ मदों में बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप निकासी मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है । गन्ने की किस्म और प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Abolition of Land Revenue

*95. **Shri Atal Behari Vajpayee :**

Shri Supakar :

Shri K. N. Tiwari :

Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that some State Government have decided to do away with land revenue ; and

(b) if so, the details thereof, State-wise, and the reaction of Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Shinde) :

(a) and (b) : A Statement is laid on the Table of the Sabha.

[Placed in Library, See No. LT—113/67]

Expenditure on last General Elections

*96 **Sri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minstster of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more expenditure was incurred on the 1967 General Elections as compared to all the three previous General Elections ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) and (b) The information regarding expenditure on the Fourth General Elections is not yet available. The Election Commission have called for the necessary data from the Chief Electoral Officers.

चीनी मिलें

* 97. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी
श्री काशीनाथ पांडे

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक चीनी मिलों ने गन्ना पेरना बन्द कर दिया है तथा ऐसा लगता है कि अन्य मिलें भी शीघ्र ही ऐसा करने वाली हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा चीनी के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) चीनी मिलों के जल्दी बन्द होने का कारण गन्ने के उत्पादन में कमी हो जाना है और चूंकि गुड़ और खण्डसारी अधिक मंहगे हैं, इसलिए गन्ने का अधिक उपयोग गुड़ और खण्डसारी बनाने में किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.4 लाख मीट्रिक टन कम होने की सम्भावना है।

(ग) भारतीय सरकार ने गन्ने के मूल्य में 32 पैसे प्रति क्विंटल वृद्धि कर दी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारखानों (सीतापुर, लखीमपुर खेड़ी और हरदोई जिलों में कारखानों को छोड़कर) 5.68 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम दर की बजाय 6.68 रुपये प्रति क्विंटल देने

की अनुमति दे दी थी परन्तु यह रियायत भी गन्ने को कारखानों में न भेजकर उससे गुड़ और खण्डसारी बनाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है।

शहरी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था

*98. **श्री सी० जनार्धनन्** :

श्री पी० सी० अदीचन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू करने के निर्णय को अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस निर्णय को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) सम्बन्धित शहरी क्षेत्रों में राशनिंग का विस्तार करने के लिए चालू खपत के साथ-साथ आरक्षण के लिए भी पर्याप्त स्टाक की आवश्यकता होगी। अत: इसका विस्तार पर्याप्त स्टाक तैयार हो जाने पर ही किया जा सकता है। अभी तक ऐसा कर पाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) स्थानीय अधिप्राप्ति तथा आयात बढ़ाकर यथाशीघ्र स्टाक तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनाजों के लिए राज सहायता

*99. **श्री पी० सी० अदीचन** : **श्री सी० के० चक्रपाणि**:

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम में चावल के वितरण के लिए दी जा रही राज सहायता बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं। उपदान में केवल कमी की गई थी, उसे बन्द नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग), से (ङ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने जब 15 दिसम्बर 1966 को मोटे चावल के मूल्यों का पुनरीक्षण किया तब उस समय केरल सरकार ने कहा था कि ये पुनरीक्षित दरें केरल के मामले में लागू न की जायें और इनको निलम्बित किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को अनुदान दे जिससे वहाँ पर मोटा चावल पुरानी दरों पर दिया जा सके। केरल सरकार को सूचित किया गया था कि ये पुनरीक्षित मूल्य केवल केरल में ही नहीं किन्तु सभी राज्यों में लागू होंगे और केवल केरल के मामले में इन्हें न लागू करना सम्भव नहीं है। केरल सरकार को यह भी कहा गया था कि यदि वे वहाँ पर मूल्यों में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं तो वे अपनी निधियों में से राज सहायता दे सकते हैं और यदि वे अपनी निधियों से राज सहायता की व्यवस्था नहीं कर सकते हों तो वे वित्तीय वर्ष के अन्त में उचित पेशगी लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से मामला उठा सकते हैं।

Starvation Deaths

*100 **Shri Arjun Singh Bhadauria :**

Shri C. C. Desai :

Shri R. Barua :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of starvation deaths in the country in 1966-67 so far ; and

(b) the number of starvation deaths in the Central part of Uttar Pradesh in the year 1966-67 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.

(a) Nil, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय सहकारी बैंक (नेशनल कोआपरेटिव बैंक)

*101. **श्री यशपाल सिंह**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय सरकारी बैंक (नेशनल कोआपरेटिव बैङ्क) स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां;

(ख) इस प्रश्न की जांच अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैङ्क सङ्घ (आल इण्डिया कोआपरेटिव बैंक्स फैडरेशन) की सलाह से की गई थी। राष्ट्रीय सहकारी बैंक (नेशनल कोआपरेटिव बैंक) की स्थापना एक व्यवसायी संस्था के रूप में करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन शिपयार्ड

*102. **श्री वी० चं० शर्मा** **श्री के० एम० अब्राहम**
श्री अ० क० गोपालन **श्री विश्वनाथ मेनन**
श्री उमानाथ **श्री वासुदेवन नायर**
श्री सी० के० चक्रपाणी **श्री पी० सी० अदीचन**
श्री पी० पी० एस्थोस

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) यह परियोजना इस समय किस अवस्था में हैं।

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जापान की मेसर्स मित्सुविशी हेवी इंडस्ट्रीज लि० द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट हमारे तकनीकी विशेषज्ञों के परीक्षणाधीन हैं। परियोजना रिपोर्ट पर तकनीकी परीक्षण के परिणामों सहित सरकार शीघ्र विचार करेगी। इस बीच परियोजना के लिए अपेक्षित कुछ भूमि अभिग्रहण कर ली गई है और अधिक भूमि लेने का काम जारी है।

कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना की रूपरेखा के प्रारूप में 15 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य

*103. **श्री सी० सी० देसाई** **श्री रामस्वरूप**
श्री विभूति मिश्र **श्री बंश नारायण सिंह**
श्री क० ना० तिवारी **श्री श्री चन्द गोयल**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या सहायता कार्य किये गये हैं, और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम निकले हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 114/67]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

*104. **श्री तेन्नेती विश्वनाथन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सलाहकारों की फर्म मैसर्स दयाशंकर एण्ड एसोशिएशन ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ख) क्या यह / ये प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा / रखे जायेगें ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को प्रतिवेदन मिले हैं आर वे निदेशकों के बोर्ड के विचाराधीन हैं । निदेशकों के बोर्ड द्वारा उनकी परीक्षा किये जाने तथा सरकार द्वारा इस मामले में अपना विचार निश्चित करने के बाद ये प्रतिवेदन सरकार के बिचारों सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिये जाएंगे ।

उड़ीसा में खाद्य समाहार

*105. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के लिये अपनाई गई खाद्य समाहार नीति में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या राज्य एकाधिकार समाहार योजना राज्य में जारी रखने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए 1967-68 में खाद्य समाहार का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने 1 मार्च 1967 से 1 अप्रैल, 1967 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य को कुछ खाद्यान्न भेजा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिंदे) (क) जी नहीं ।

(ख) **और (ग) :** अभी यह नहीं बताया जा सकता क्या 1967-68 में एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना चलती रहेगी । इस अवस्था में लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां । भारतीय खाद्य निगम ने 1-3-67 से 17-3-67 तक की अवधि में पश्चिमी बंगल को लगभग 13,000 मीटरी टन चावल भेजा था । शेष अवधि के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में कृषि विश्वविद्यालय

*106 **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के महा-निदेशक ने केरल में एक कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में हाल में केरल राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां तो उस मुलाकात का क्या परिणाम निकला है;

(ग) सरकार द्वारा यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया जाने की संभावना है; और

(घ) यह विश्वविद्यालय केरल में कहां स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिंदे) (क) फरवरी 1967 के महीने में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महा-निदेशक, सचिव और उप-महा-निदेशक (फसल विज्ञान) ने केरल में कई अनुसंन्धान संस्थाओं का दौरा किया था। वे वेल्लयानी में कृषि कालेज और अनुसन्धान संस्था में भी गये थे और उन्होंने वहां पर राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया था। इन अधिकारियों में कृषि उत्पादन आयुक्त , कृषि और पशुपालन निदेशक, कृषि कालेज के प्रिंसिपल और कृषि के अतिरिक्त निदेशक (अनुसन्धान) शामिल थे। महा निदेशक ने चौथी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की शिक्षा आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद केरल में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में केरल सरकार को पूरा सहयोग देगी। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के आयव्ययक में वर्तमान तथा नये कृषि विश्वविद्यालयों को वित्त जुटाने की व्यबस्था की गयी है।

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में अभी पक्का इरादा नहीं बनाया है। परन्तु उन्होंने इस सुझाव पर बाद में निष्पक्ष रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधिकारियों ने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वे त्रिवेन्द्रम में इस बारे में ब्योरेदार विचार विमर्श करने के लिये इस परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों को भेजने के लिये तैयार रहेंगे।

(ग) और (घ) : यह मालूम नहीं है कि क्या केरल सरकार ने चौथी योजना की अवधि में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने अथवा न करने के बारे में पक्का इरादा किया है अथवा नहीं। यदि राज्य सरकार कोई सहायता मांगेगी तो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद उसे आवश्यक सहायता देगी। विश्वविद्यालय किस स्थान पर खोला जाना है, इसका निर्णय राज्य सरकार ने स्वयं करना हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करती है तो वर्तमान दो क्षेत्र, एक कृषि के लिये वेल्लयनी में और दूसरा पशुपालन विज्ञान के लिए त्रिचूर के निकट, इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र होंगे। इस बात का फैसला भी राज्य सरकार ने करना है कि मुख्यालय कहां बनाया जायेगा।

खाद्यान्नों का बाजार में आना

* 107 **श्री रामचन्द्र उलाका** **श्री खगपति प्रधानी**

श्री धुलेश्वर मीना **श्री हीरजी**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान बाजार में अधिक अनाज आया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) फरवरी, 1967 तक के पिछले तीन महीनों में देश की चुनी हुई मन्डियों में प्रमुख खाद्यान्नों की आमद पिछले सीजन की उसी अवधि की अपेक्षा प्रायः कम रही थी।

(ख) उसी अवधि के दौरान, इन खाद्यान्नों के मूल्य गत वर्ष से सामान्यतः अधिक रहे।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की मांगें

108. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कर्मचारियों द्वारा कोई माँग-पत्र दिया गया था ।

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं; और

(ग) उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ ।

(ख) मुख्य मांगें वेतन मानों व भत्तों के पुनरीक्षण, तथा सेवा की शर्तों की सम्बन्ध में हैं ।

(ग) बातचीत के बाद एयर कारपोरेशन एम्प्लोयीज यूनियन, इण्डियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियन्स एसोसियेशन, आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इन्जीनियर्स एसोसियेशन, तथा इण्डियन फ्लाइट इन्जीनियस एसोसियेशन के साथ समझौता हो गया है । बाकी तीन यूनियनों के साथ बातचीत चल रही है ।

साधारण निर्वाचनों में मतदान के आंकड़े

59. **श्री एस० सूपकर :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघराज्य क्षेत्र में गत साधारण निर्वाचनों में लोकसभा के स्थानों के लिए, प्रत्येक मान्यताप्राप्त दल ने कुल कितने-कितने मत प्राप्त किये ; और

(ख) प्रत्येक दल को 1962 के साधारण निर्वाचनों में मिले मतों की तुलना में इन साधारण निर्वाचनों में कितने प्रतिशत मत मिले हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा संकलित की जा रही है ।

सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र

60. **श्री धुलेश्वर मीना** **श्री खगपति प्रधानी**

श्री रामचन्द्र उलाका **श्री हीरजी**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत इस समय सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) 1965-66 में इन केन्द्रों पर कितना व्यय हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिंदे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 115/67]

उड़ीसा में प्रयोगात्मक नलकूप

61. **श्री धुलेश्वर मीना** **श्री खगपति प्रधानी**
श्री रामचंद्र उलाका **श्री हीरजी**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में दिसम्बर, 1966 के अन्त तक कितने प्रयोगात्मक नलकूप लगाये गये; और

(ख) उनमें से कितने नलकूप उपयोगी पाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा में भूमिगत जल की खोज के दौरान में समन्वेषी नलकूप संस्था ने 31 दिसम्बर, 1966 तक 33 समन्वेषी छेद किये थे जिनमें से केवल 20 ऐसे थे जो भली भाँति पानी संभरण कर सकते थे ।

उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी योजनायें

62. **श्री खगपति प्रधानी** **श्री रामचंद्र उलाका**
श्री धुलेश्वर मीना **श्री हीरजी**

क्या खाद्य तथा कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : ऋण (2.22 लाख रुपये) तथा अनुदान (8.10 लाख रुपये) के रूप में 10.32 लाख रुपये का निर्धारण उड़ीसा में मात्स्यकी योजना जिनमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना भी शामिल है के लिए 1966-67 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में किया गया । 60 लाख रुपये मात्स्यकी के लिए प्रस्तावित किया गया और लगभग 29 लाख रुपये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रखे गए । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी योजना का मुख्य कार्य ट्रालिंग के लिए शक्तियुक्त नाव चालू करना है और भण्डारण तथा विपणन सम्बन्धी सुविधायें देना है । सहायता की वास्तविक मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि मात्स्यकी योजनाओं पर वर्ष के दौरान कितना खर्च आता है । 1966-67 वर्ष के खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

नारियल का उत्पादन

63. **श्री खगपति प्रधानी** **श्री रामचंद्र उलाका**
श्री धुलेश्वर मीना **श्री हीरजी**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नारियल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ?

(ख) इस समय प्रति वर्ष कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में नारियल बाहर से मँगाया जाता है; और

(ग) नारियलों की सप्लाई में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1964-65 की अवधि में (जब कि अधिकतम उत्पादन हुआ था और जिसके बारे में अनुमान उपलब्ध हैं) 48060 लाख नारियल का उत्पादन।

(ख) इस समय नारियल का कोई आयात नहीं हो रहा है। परन्तु 1965-66 की अवधि में 6.26 करोड़ रुपये मूल्य का 48,722 मीटरी टन नारियल का आयात किया गया था। जनवरी से नवम्बर 1966 तक 3.47 करोड़ रुपये का नारियल आयात किया गया था।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तृत उपाय सोचे गये हैं और चतुर्थ योजना के अन्त तक 50710 लाख नारियलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास कार्यक्रमों में अल्प तथा दीर्घकालीन उपाय भी शामिल हैं। अल्पकालीन उपायों में प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था, उर्वरकों का वितरण, सिंचाई की व्यवस्था, पैकेज कार्यक्रम के आधार पर बड़े खण्डों में सघन खेती करना आदि भी शामिल हैं। दीर्घकालीन उपायों में पौधों का वितरण करना तथा कुछ सीमा तक नारियल के क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है।

अनुसन्धान कार्य तथा परिणामों की प्राप्ति को गतिमान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना तैयार की है और इसके अन्तर्गत नारियल की "रूट विल्ट" तथा "लीफ राट" नामक बीमारियों के नियन्त्रण पर उचित बल दिया जायेगा।

चीनी के कारखानों का नियंत्रण उनके मालिकों को सौंपना।

64. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उन चीनी कारखानों का नियन्त्रण उनके मालिकों को सौंपने का विचार है, जो कुप्रबन्ध के कारण सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिए गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन पर इन कारखानों का नियन्त्रण उनके मालिकों को सौंपने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) यह नियन्त्रण, राज्य के बचाव अथवा सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में आपात बिधान का प्रयोग नियन्त्रित करने की सरकार की नीति के अनुसरण में, हटाया जा रहा है। यदि अपेक्षित कार्यवाही करने से किन्हीं हितों पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये स्थायी कानूनों के अन्तर्गत मिले अपने अधिकारों का प्रयोग प्रभावित एककों को लेने में करेगी।

गत आम चुनावों में जमा की गई जमानत की राशि

65. **श्री च० चु० देसाई** :

क्या **विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के आम चुनावों में भाग लेने वाले उन प्रत्याशियों की जमानत की राशि जब्त करने से, जो न्यूनतम निर्धारित संख्या में मत प्राप्त नहीं कर सके, सरकार के पास कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह जानकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों से मँगाई गई है ।

उड़ीसा में खाद्यान्नों का उत्पादन

66. **श्री सूपकर :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष वर्षा न होने के कारण उड़ीसा में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन कितना कम हुआ है और क्या उड़ीसा सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र से अनाज की सहायता माँगी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अस्थाई अनुमानों के अनुसार चालू फसल वर्ष में उत्पादन 1964-65 से कम होगा ।

(ख) गेहूँ के सामान्य मासिक कोटे को छोड़कर केन्द्र से और खाद्य-सहायता की मांग नहीं की गई है ।

कांगड़ा में भारत-जर्मन कृषि परियोजना

67. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में एक भारत-जर्मन कृषि परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस करार के अन्तर्गत दोनों सरकारों ने कांगड़ा जिले के विकास के लिए संयुक्त रूप से विस्तार कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया है; और

(ग) क्या अन्य किसी राज्य में परियोजना के लिए इसी प्रकार का कोई करार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां, 7 फरवरी, 1967 से ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हां, परियोजना के लिए इसी प्रकार का एक करार नीलगिरीज जिला, मद्रास राज्य में किया गया था ।

चीनी का स्टाक ।

68. **श्री यशपाल सिंह**
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री घुलेश्वर मीना

श्री खगपति प्रधानी :
श्री हीरजी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की एक वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का काफी स्टाक है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा चीनी के उत्पादन को बढ़ाने तथा उपलब्ध स्टाक का समान रूप से वितरण करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) इसका कारण बुआई व विकास के समय सूखा की स्थिति रहने से गन्ने की उपज में भारी कमी तथा गन्ने को गुड़ व खण्डसारी बनाने में लगाने से गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में चीनी उत्पादन में भारी गिरावट का होना है। गन्ने के मूल्य में वृद्धि करके प्रोत्साहन दिए गए किन्तु वे भी विशेष सहायक सिद्ध न हुए क्योंकि गुड़ व खंडसारी उत्पादक इससे भी अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देते थे। वर्ष की शेष अवधि में उपलब्ध स्टाक का सामान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

किसानों को फार्म-ऋण

69. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के लिए सरल शर्तों पर फार्म-ऋण की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जो किसान प्राथमिक ऋण समितियों के सदस्य हैं, वे उन समितियों से अपनी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर तथा अपनी ऋण की वापसी अदायगी की क्षमता के भीतर रहते हुए अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक व्यवहार्य है, बीज तथा उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए ऋण जिस के रूप में दिये जाते हैं। ऋण जारी करने की प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है तथा उन्हें सरल बना दिया गया है ताकि किसान आवश्यक वस्तुओं तथा नकदी सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिए समय से ऋण ले सकें।

जो किसान सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं उनका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तकावी ऋण देना जारी है। इधर भी प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है तथा उन्हें सरल बनाया गया है।

चीनी के भाव

70. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न राज्यों में चीनी भिन्न-भिन्न भावों पर दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भावों में समानता लाने तथा उन्हें कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) यह चीनी के निकासी मूल्यों में अन्तर होने के कारण है जो कि संगत लागत अनुसूचियों के संदर्भ में क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

मद्रास बन्दरगाह में हुआ विस्फोट (1965)

71. **श्री सेझियान :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री 22 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जून, 1965 को मद्रास बन्दरगाह में हुए विस्फोट की जांच की रिपोर्ट पर और क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) विस्फोट से जिन लोगों को हानि हुई है उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) (क) जांच की रिपोर्ट के विषय वस्तु की सूचना मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को दे दी गई है। उसने तट और पोत पर खतरनाक माल को धरने-उठाने में अधिक सावधानी और देखभाल के सुनिश्चयन के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिया है। रिपोर्ट के मुख्य सारांश अन्य पोर्ट ट्रस्टों को उनके निर्देशन के लिए भेज दिये गये हैं।

(ख) मद्रास डाक लेबर बोर्ड के तीन मजदूरों को जिनकी मृत्यु हो गई थी, वर्कमेन कंपेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत 22,000 रु० हरजाने के रूप में दिये गये तथा अन्य लोगों को जिन्हें सामान्य चोटें आई उन्हें 582 रुपये दिये गये।

भारत का खाद्य निगम

72. **श्री सेझियान :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 15 नवम्बर, 1966 के अतारांकत प्रश्न संख्या 1308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य निगम के दो मुख्य नियंत्रण कार्यालय मद्रास और दिल्ली में स्थापित करने के प्रस्ताव पर जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि निगम के प्रमुख अधिकारी दिल्ली में नियुक्त किये जाने चाहिएं, विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने प्रधान कार्यालय को मद्रास से दिल्ली लाने के लिए एक और प्रस्ताव भेजा है जो कि विचाराधीन है।

विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड

73. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाज निर्माण निदेशक तथा मुख्य शिपयार्ड मैनेजर के पद कुछ समय से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, तथा नौवहन मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) और (ख)** प्रबन्ध निदेशक, जो तकनीकी अधिकारी हैं, प्रबन्ध निदेशक के अपने पद के कार्य के अतिरिक्त, मितव्ययता के उपाय के फलस्वरूप जहाज निर्माण निदेशक के पद का काम भी करते हैं। मुख्य शिपयार्ड मैनेजर के पद पर भी इसी कारण से नियुक्ति नहीं की गयी है ।

कांटिलो (उड़ीसा) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

74. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीला मधाल के स्थान कांटिलो को, जो उड़ीसा में खांडपाड़ा में एक महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटक केन्द्र है, एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र के लिए संचार साधन की व्यवस्था करने के लिए क्या उपबन्ध किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):(क) और (ख) : पर्यटन विभाग की चतुर्थ योजना में उड़ीसा में कांटिलो को विकसित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि उड़ीसा में स्थानिक महत्व की पर्यटक योजनाओं के लिए प्लान में 3.50 लाख रु० की एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसकी वित्त व्यवस्था पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

गुन्टूर और विजयवाड़ा के मध्य हवाई अड्डा

75. **श्री मद्दी सुदर्शनम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गुन्टूर और विजयवाड़ा के मध्य एक हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता दर्शाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : गुन्टूर और विजयवाड़ा के बीच एक हवाई अड्डा स्थापित का सुझाव फरवरी, 1967 में प्राप्त हुआ था, तथा उस पर विचार किया जा रहा है।

एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन का लिया जाना

77. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिल्ली में एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन लिए जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कारण बताओ नोटिस' का कोई उत्तर इस बीच मिल गया है;

(ख) क्या सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) मुकदमा चलाने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

Distribution of indigenous wheat in Delhi during general Elections

78. **Shir Hukam Chand Kachhavaiya** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for the distribution of indigenous wheat during the period of last Elections in Delhi and discontinuing the same immediately thereafter ;

(b) whether any directive to this effect had been issued by Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) :

(a) It is not correct to say that the issue of indigenous wheat was timed to coincide with the last Elections in Delhi. The issue was made as soon as stocks enough to meet the requirements for about four weeks could be built up which became possible only by the middle of January, 1967. In order that all cardholders including those who draw their ration by four weeks at a time could get advantage of the issue of indigenous wheat and since the next four weekly period was starting from Wednesday the 1st February, 1967 the distribution of indigenous wheat was started from that date. The distribution was discontinued when the stocks of indigenous wheat were nearly exhausted.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

गन्ने की कीमत

79. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में चीनी मिलों ने 31 जनवरी, 1966 तक दिये गये गन्ने की कीमत की काफी राशि की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1965-66 के सीजन में 31 जनवरी, 1966 तक खरीदे गये गन्ने का कुल मूल्य 75.41 करोड़ रुपये हुआ था जिसमें से 56.20 करोड़ रुपये का भुगतान उसी तारीख तक कर दिया गया

था। विशिष्टतः 31 जनवरी, 1966 तक खरीदे गये गन्ने की कितनी राशि अभी भी बकाया है इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केवल 0.64 करोड़ रुपये बिना भुगतान किये बकाये को छोड़कर, 1965-66 के सीजन में खरीदे गये गन्ने के कुल मूल्य 194.69 करोड़ रुपये में से 194.05 करोड़ रुपये का 31 जनवरी, 1967 तक भुगतान कर दिया गया था। इससे यह विदित होता है कि 31 जनवरी, 1966 तक खरीदे गये गन्ने के सम्बन्ध में कोई राशि बकाया नही होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एक ही खाद्य क्षेत्र के अन्दर खाद्यान्नों का लाना ले जाना।

80. **श्री हेम राज :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाना, दिल्ली, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश एक खाद्य क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ही खाद्य क्षेत्र के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों तथा खाद्य पदार्थों का लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरयाना राज्यों की सरकारों ने होशियारपुर तथा पठानकोट की मण्डियों के व्यापारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश को भेजे जाने वाले अनाज से भरे ट्रकों को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर तथा होशियारपुर जिले में मंगवाल और पठानकोट जिले में चक्की नामक स्थानों पर चौकियां स्थापित कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सरकारों द्वारा स्थापित इन अनियमित चौकियों को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) एक क्षेत्र के अन्दर खाद्यान्नों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पारादीप पत्तन

81. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1965-66 और 1966-67 में जापान को पारादीप पत्तन से कितने लोह अयस्क का निर्यात किया गया और उससे कितना धन प्राप्त हुआ ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० बी० के० आर वी० राव) : 1965-66 में पारादीप पत्तन से जापान को खनिज लोहे का निर्यात नहीं हुआ। 1966-67 में फरवरी 1967 के अन्त तक लगभग 47.81 लाख रुपये मूल्य का 67,000 मीटरी टन खनिज लोहा निर्यात किया गया।

पारादीप पत्तन

82. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाथी पंचवर्षीय योजनावधि में पारादीप पत्तन का और अधिक विस्तार तथा विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्य पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए वर्ष 1967-68 के लिए कोई धनराशि नियत की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : चतुर्थ आयोजना काम में पारादीप पत्तन को और विकसित करने के प्रस्ताव योजना आयोग तथा संबंधित मन्त्रालयों के परापर्श में विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों में खनिज लोहे को धरने उठाने की क्षमता में वृद्धि, सामान्य माल के धरने-उठाने की सुविधाओं की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित बातें करने का विचार है। इस अवस्था पर इन सुविधाओं के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं हैं।

(ग) 2.75 करोड़ रुपये।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान में बम होने की आशंका

83. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को टेलीफोन द्वारा यह सूचना दिये जाने के कारण कि कैरेवेल विमान में, जो 13 मार्च, 1967 को मद्रास से कलकत्ता के लिए उड़ान करने ही वाला था, एक टाइम बम है, विमान की उड़ान में विलम्ब हुआ;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां।

13 मार्च, 1967 को मद्रास से कलकत्ता जाने वाली कारवेल सेवा के रवाना होने के कुछ ही समय पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को टेलीफोन पर चेतावनी दी कि वायुयान पर एक 'टाइम बम' रखा है। कारपोरेशन के स्थायी अनुदेशों के अनुसार कार्मिकों तथा यात्रियों को वायुयान से तुरन्त उतार दिया गया तथा उक्त चेतावनी की सच'ई की जांच करने के लिए वायुयान की पूरी छानबीन की गई। चेतावनी गलत साबित हुई। इस घटना के कारण कारवेल वायुयान लगभग तीन घन्टे विलम्ब से रवाना हुआ।

क्योंकि टेलीफोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय नहीं दिया तथा चेतावनी देने के तुरन्त बाद टेलीफोन को काट दिया टेलीफोन काल के स्रोत का पता लगाना सम्भव न हुआ।

Ballot Boxes in Patna Constituency

84. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bottom portions of ballot boxes in a constituency in Patna got separated just by a touch ;

(a) if so, whether these boxes were supplied by the Election Commission ;

(c) whether this matter has been looked into ; and

(d) if so, the full report of that enquiry ?

The Minister of Law Shri Govind Menon : (a) to (d) The Election Commission have received no complaint from the Patna constituency regarding use of ballot boxes having false bottoms. A report has been called for from the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

Closure of Sugar Mill in Mandsaur District

85. **Shri S. S. Kothari :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of the sugar mill situated in Dalauda, District Mandsaur, had decided to close the mill during 1967-68 season ;

(d) if so, the reason therefor ; and

(c) the arrangements made to compensate the loss which would be suffered by the cane growers as a result of the closure of the mill ?

The Minister of state in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde)

(a) Yes, Sir.

(b) Shortage of sugarcane owing to failure of rains for the last two seasons.

(c) Cane growers will not suffer any loss because all available cane will be utilised for seed or for the manufacture of gur and Khandsari.

देश में चीनी की मांग

86. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री खगपति प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में खपत के लिए अनुमानत: कितनी चीनी की आवश्यकता होगी और इस आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा; और

(ख) चालू वर्ष में चीनी के निर्यात का लक्ष्य क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में घरेलू खपत के लिए चीनी की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया गया है। नवम्बर, 1966 से फरवरी, 1967 तक की अवधि में 2.52 लाख मीटरी टन चीनी प्रति मास दी गई थी। इस वर्ष उत्पादन में कमी होने के कारण मार्च/अप्रैल से इस मात्रा को घटाकर 1.87 लाख मीटरी टन प्रति मास कर दिया गया है।

(ख) 1967 में निर्यात के लिए 2.2 लाख मीटरी टन चीनी बेची गयी है। विदेशी मुद्रा का अर्जन वर्ष में चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर निर्भर करेगा।

हल्दिया पत्तन

87. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हल्दिया पत्तन के लिए कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का निर्यात

88. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये 1967-68 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक चीनी निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, ता क्या उन्होंने चीनी के निर्यात के लिए किन्हीं देशों से कोई करार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं। 1966-67 के चालू मौसम में चीनी के उत्पादन में पर्याप्त कमी को देखते हुये सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस वर्ष के दौरान चीनी निर्यात के और कोई वायदे न किये जाएँ। 1967-68 में 2.2 लाख टन चीनी का निर्यात किया जायेगा जबकि गत वर्ष यह 4.41 लाख टन था।

(ख) 1967 में निम्नलिखित देशों को निर्यात के लिए चीनी बेची गयी है :—

देश		मात्रा (लाख मीटरी टन)
संयुक्त राज्य अमेरिका	–	0.69
यू० के०	–	0.79
कनाडा	–	0.72
		2.20

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी का निर्यात एक विशिष्ट अवधि में न्यूयार्क काफी तथा शुगर एक्सचेंज इंश के कंट्रक्ट नं० 10 स्पाट कोटेशन्स की औसत के आधार पर किया जाता

है। यू० के० को 0.25 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात राष्ट्र मण्डलीय चीनी करार के अधीन बातचीत द्वारा तय मूल्य पर किया जायेगा। यू० के० को शेष मात्रा का निर्यात मांग के आधार पर "लन्दन डेली प्राइस" के पारित माध्य पर किया जायगा। कनाडा को निर्यात एक विशष्टि अवधि में "लन्दन डेली प्राइस" की औसत से सम्बद्ध आधार पर निर्धारित मूल्य पर किया जायेगा।

Use of Mexican variety of wheat seed in Delhi

89. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that seed of Mexican variety of wheat is being used for cultivation in Delhi ; and

(b) if so, the quantity of this seed likely to be made available to the Delhi Administration for the Sowing of next wheat crop ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Yes.

(b) The target for the next wheat crop has not so far been finalised. There is no shortage of seeds of Mexican varieties of wheat. Seeds would be made available to the Delhi Administration for the next wheat crop, in accordance with the programme to be fixed for the Delhi State.

Minor Irrigation Schemes

90. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount spent this year on minor irrigation schemes in the country ; and

(b) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) :

(a) and (b) During the current financial year, 1966-67, an outlay of Rs. 84.89 crores was approved to various States for the minor irrigation programme. Besides, additional outlay amounting to Rs. 23.05 crores has also been allotted to various States. Thus, a total outlay of Rs. 107.94 crores has been allotted during 1966-67. Since the current financial year is not yet over, the actual amount spent on various minor irrigation schemes during this year is not known.

आन्तरिक विमान सेवाएं

91. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने आन्तरिक विमान सेवाओं का विस्तार करने तथा उनको सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी चौथी योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) **और** (ख) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की चौथी प्लान की योजनाओं में 6 कारवेल की किस्म के वायुयानों, वाइकाउण्टों तथा स्काई-मास्टरों के स्थान पर अन्य वायुयानों की व्यवस्था करने के लिए 7 वायुयानों, डकोटा वायुयानों के स्थान पर अन्य वायुयानों की व्यवस्था करने के लिए अवरो/एफ-27 की किस्म के 15 वायुयानों, और फीडर मार्गों के लिए 15 वायुयानों, को खरीदने की व्यवस्था शामिल हैं।

अक्तूबर-नवम्बर, 1966, के दौरान 2 कारवेल वायुयान प्राप्त किये गये तथा एक और कारवेल वायुयान के अक्तूबर-नवम्बर, 1967 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। 1966 के दौरान तीन एफ-27 वायुयान प्राप्त किये गये तथा दो और एफ-27 वायुयान को प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। 1967-68 और 1968-69 के दौरान 9 अवरो वायुयानों को प्राप्त करने के एक कांट्रैक्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के वाइकाउण्ट वायुयानों के बेड़े के स्थान पर अन्य वायुयानों की व्यवस्था करने के लिए सर्वोत्तम प्रबन्ध के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति की स्थापना की गयी है।

हरियाणा राज्य में पैकेज कार्यक्रम

92. **श्री अब्दुल गनी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य के किन-किन जिलों को केन्द्रीय सरकार ने "पैकेज कार्यक्रम" में शामिल किया है; और

(ख) क्या गुड़गांव को 'पैकेज कार्यक्रम' में शामिल करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) इस समय प्रत्येक राज्य के एक जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम (जिसे साधारणत: पैकेज कार्यक्रम कहते हैं) चालू है। अविभाजित पंजाब में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए लुधियाना को चुना गया था। हरियाणा बनने के पश्चात् सघन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए करनाल जिले के चुनाव का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ख) जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF UGRENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ राज्यों में अनाज का भीषण संकट

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यान दिलाने वाली सूचना पर लगभग 40 नाम दिए गए हैं, इस विषय पर हम दो घन्टे की चर्चा रख सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम में से कुछ ने एक प्रस्ताव पहले ही रखा है। मेरा निवेदन है कि यह व्यापक वक्तव्य है। इसकी अनुमति दी जाये ताकि इस पर आधे दिन की चर्चा हो सके।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : केरल में स्थिति बहुत गम्भीर है। इस पर चर्चा तुरन्त होनी चाहिए क्योंकि सभी राज्यों को इसकी चिन्ता है।

श्री हेम बरुआ (मङ्गलदाई) : मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि उस वक्तव्य के आधार पर चर्चा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलायेंगे और मन्त्री महोदय विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ताकि सदस्यों को वक्तव्य पढ़ने का समय मिल सके। तब यदि कल संसद कार्य मन्त्री समय निकाल सके तो कल इस पर चर्चा होगी।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम): मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर को भी इस चर्चा में शामिल किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप मैसूर के सम्बन्ध में कह सकते हैं।

Shri Partap Singh (Simla) : Union territories should also be included in the discussion.

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : सरकार को देश में सामान्य खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अनाज के भीषण संकट, बिहार में और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भूख से मृत्यु और केरल तथा पश्चिमी बंगाल को राज सहायता बन्द किया जाना।"

श्री जगजीवन राम : मैं सभा-पटल पर वक्तव्य रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 109/67]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : Point of Privilege

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, as per your directions, the question of Privilege should be taken first. Dr. Ram Manohar Lohia has tabled an adjournment motion and a Censure motion under rule 184 with regard to Mrs. Svetlana. I have sent a motion of privilege to you with regard to the same matter, in which I have stated that the statement of Shri Chagla in that connection was wrong and misleading. I would like to know your decision on this matter.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं इसे देखूंगा और कल इसके बारे में अपनी राय दूँगा।

Shri Madhu Limaye : It may then be taken up tomorrow.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी विधि बोर्ड (प्रक्रिया) नियम

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1944 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 103/67]

दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम तथा कोच्चिन पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (13)/65-66–ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 104/67]

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कोच्चिन पत्तन न्यास के 1965-66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन : [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी 105/67]

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 106/67]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (दसवाँ संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 3 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 297 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 107/67]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आंध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) दूसरा संसोधन आदेश, 1966 जो दिनाँक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1866 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उड़ीसा चावल (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 28 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2031 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) चना क्षेत्र (वहन नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 31 दिसंबर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2020 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) गेहूँ बेलन आटा मिलें (लाइसेन्स देना तथा नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनाँक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2021 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पंजाब धान (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2034 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) अन्तः क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2035 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) चावल (उत्तरी क्षेत्र) वहन नियंत्रण संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2036 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) बेलन मिलें गहूँ उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2037 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) चना क्षेत्र (वहन नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2038 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 32 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) अन्तःक्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनाँक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 33 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) पश्चिमी बंगाल धान कूटने की मशीनें (चलाने पर नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 11 जनवरी 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 64 में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) गेहूँ बेलन आटा मिलें (लाइसेन्स देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 65 में प्रकाशित हुआ था।

(चौदह) दिल्ली बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मिल पर तथा फुटकर) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 24 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 131 में प्रकाशित हुआ था।

(पन्द्रह) आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 4 फरवरी 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 151 में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) उड़ीसा चावल (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनाँक 6 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 157 में प्रकाशित हुआ था।

(सत्रह) अन्त: क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 17 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 226 में प्रकाशित हुआ था।

(अट्ठारह) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 17 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस आर० 227 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 108/67]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
सत्तासठवें से बहत्तरवें तक के प्रतिवेदन

सचिव : मैं लोक लेखा समिति (1966-67)(तीसरी लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन, जो समिति के सभापति द्वारा 28 फरवरी, 1967 को, तीसरी लोक सभा के विघटन से पूर्व, इसके अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) केरल सरकार सम्बन्धी विनियोग लेखे, 1964-65 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1966 के बारे में 67 वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, सूचना तथा प्रसारण, लोहा और इस्पात तथा संभरण, तकनीकी विकास और सामग्री आयोजन आदि मन्त्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1964-65 वित्त लेखे, 1964-65 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के बारे में 68वाँ प्रतिवेदन।

(3) स्वीकृति अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अतिरिक्त राशियों के बारे में, जो विनियोग लेखे (सिविल), 1964-65 में प्रकट की गई, 69वाँ प्रतिवेदन।

(4) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1966—इन्जनों का निर्माण–के पैरा 10 के बारे में 70वां प्रतिवेदन।

(5) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें), 1964-65 और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1966 के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

(6) विनियोग लेखे (रेलवे), 1964-65 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1966 के बारे में 72वां प्रतिवेदन।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

"Shri George Fernandes (Bombay South) : Mr. Speaker, Sir, during discussion on C. I. A. of America on 23rd March, Shrimati Tarkeshwari Sinha said among other things :—

"Shrl Banerji has said that the ICFTU is giving funds to the Indian National Trade Union Congress. He has omitted very conveniently the HMS, which is a Mazdoor organisation of the Socialist party, the P. S. P. I think Mr. George Fernandes was also associated with it for some time and I think he is still asociated,"

I would like to clarify that I have no connection whatsoever with Hind Mandoor Sabha which is an organisation of Praja Socialist party and which is affiliated to IGFTU,

We had differences with the leaders of Hind Mazdoor Sabha in 1959 and one of the reasons for the same was the affiliation of H. M. S. with I. C. F. T. U. I was one of those persons who were against such affiliation.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्री जार्ज फरनेन्डीज का सम्बन्ध आई० सी० एफ० टी० यू० से सम्बन्धित संगठन से रहा है ।

मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

CLARIFICATION BY MINISTER

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री अ० क० गोपालन, संसद सदस्य ने 27 मार्च, 1967 को नियम 357 के अन्तर्गत जो वक्तव्य दिया था, उससे उत्पन्न होने वाले कुछ मामलों के सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ ।

जब 11 मार्च को यह प्रश्न पहली बार उठा तो माननीय अध्यक्ष ने कहा :

"यदि कोई मुझे यह लिखता है कि यह गलत है तो निश्चित ही मैं सदस्य से यह पूछूंगा कि उन्होंने यह सूचना कहां से प्राप्त की । यदि कोई गलत वक्तव्य दिया गया हो तो सभा को अधिकार है कि सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करे । यही सामान्य प्रथा है ।"

इसके बाद माननीय अध्यक्ष ने 1-7-65 को मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये कहा । मैंने अपने टिप्पन लिखे और अध्यक्ष महोदय को कुछ पत्र भेजे ताकि वह सन्तुष्ट हो सकें कि मेरे द्वारा लगाये गये आरोप साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टि से उचित थे । अध्यक्ष महोदय ने इन पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की, इसलिये मेरा यह मानना उचित था कि अध्यक्ष महोदय इससे सन्तुष्ट हैं । मैंने 18 मार्च को इस सम्बन्ध में यही कहा था ।

कार्यवाही में से अंश निकाले जाने के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, उसके लिये मुझ पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है । यह रिकार्ड का मामला है और जो कुछ मैंने अपनी याददाश्त से कहा है, उसे रिकार्ड से मिलाया जा सकता तथा ठीक किया जा सकता है ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : माननीय मन्त्री के वक्तव्य की जो प्रति मुझे दी गई है जिसमें एक वाक्य यह भी है :

"यह गलती वास्तव में भूल से हो गई है परन्तु इस मामूली सी भूल के लिये खेद व्यक्त करने में मुझे कोई संकोच नहीं है ।"

मालूम नहीं पढ़ते समय यह वाक्य क्यों छोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रति मुझे दी गई है, उसमें भी यह वाक्य है ।

श्री आनन्द नम्बियार : श्री शुक्ल को यह भी वाक्य पढ़ना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There should be no change in the explanation provided to you. Any violation of it is a contempt of this House.

श्री वी० कृष्णमूर्ति : उन्हें सभा के प्रति इतना आदर दिखाना चाहिये और इसे पढ़ना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथा श्री गोपालन को इसकी प्रति दी गई है । यह वाक्य उनमें है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वह उसका केवल एक अंश ही कैसे पढ़ सकते हैं । जब तक वह इसे पढ़ें नहीं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वक्तव्य की एक प्रति आपको दी गई है और उसी के आधार पर मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है । उन्हें उस प्रति से दूर नहीं हटना चाहिये । इस पर मैं आप का विनिर्णय चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और अपना निर्णय निलम्बित रखूंगा····· (**अन्तर्बाधायें**)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम तो हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ परन्तु यदि वह कहें कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ और वक्तव्य की प्रति भेजें परन्तु बाद में कहें कि वह वक्तव्य नहीं देना चाहते तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : इसके लिये उन्हें अनुमति लेनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा कि क्या इसे कार्यवाही का भाग बनाया जाये ।

श्री अ० क० गोपालन : जो मैंने कहा है, वह कार्यवाही का भाग है । मैंने वह वाक्य पढ़ दिया है । इसलिये, वह कार्यवाही का अंग बन जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में श्री गोपालन के सुझाव के अनुसार शामिल किया जायेगा ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यदि आप इस बारे में अभी विनिर्णय नहीं देंगे तो इस सभा में सभी प्रकार की अनुचित बातें होने लगेंगी । इसमें आपको समय नहीं लगाना चाहिये । ऐसी प्रथा की निन्दा की जानी चाहिये और यह बहुत ही आवश्यक है कि आप उन्हें वक्तव्य का पूरा पाठ पढ़ने के लिये कहें और इसे कार्यवाही का अंग बनायें ।

श्री हेम बरुआ : श्री शुक्ल ने आप का तथा इस सदन का अपमान किया है । उन्हें क्षमा माँगनी चाहिये ।

Shri AtalBihari Vajpayee (Balrampur) : It is a question of propriety. He should be compelled to read the whole statement, otherwise his statement should not be recorded. He snould not hesitate in reading the whole of it.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं श्री मुकर्जी तथा श्री वाजपेयी का समर्थन करता हूँ । इससे अध्यक्ष महोदय तथा सदन की प्रतिष्ठा सम्बन्धित है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री अ० क० गोपालन ने जो आरोप 27.3.1967 को अपने वक्तव्य में लगाये थे, उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ ।

"अध्यक्ष महोदय ने 11 मार्च 1965 को यह निर्णय दिया था कि यदि कोई सदस्य मुझे लिखे कि कोई गलत बयानी हुई है तो मैं सदस्य महोदय से पूछूंगा और यदि वह गलत सिद्ध हुआ तो कार्यवाही करूंगा।

इसके बाद 1-7-65 को मेरा कथन मांगा गया। मैंने अपना वक्तव्य तथा कुछ और दस्तावेज अध्यक्ष महोदय के पास भेजे ताकि अध्यक्ष को प्रथम दृष्टि से मेरे द्वारा लगाये गये आरोप गवाही के आधार पर न्यायसंगत सिद्ध हों। उसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने समझा कि जो कुछ मैंने कहा था वह सत्य था।

यही बात मैंने 18-3-1967 को कही।

जहां तक कार्यवाही से शब्दों के निकालने का सम्बन्ध है, इस बात में आरोप लगाना ठीक नहीं है। यह गलती वास्तव में भूल से हो गयी है। परन्तु उस मामूली सी भूल के लिये खेद व्यक्त करने में मुझे कोई संकोच नहीं है।"

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE
केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) (सी) के अनुसरण में, लोकसभा के सदस्य, ऐसी नीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 9 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (3) (सी) के अनुसरण में, लोकसभा के सदस्य, ऐसी नीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 9 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष का चुनाव
ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री के साथ एक समझौता हुआ था कि यदि सारे विरोधी दल मिलकर उपाध्यक्ष के पद के लिये एक ही उम्मीदवार लायें तो वह कांग्रेस दल को भी स्वीकार होगा। सारे विरोधी दलों के कहने पर श्री कुंते ने अपनी नामजदगी के बारे में हां भर ली है। पूर्व इसके कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूँ मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह अब भी अपने समझौते पर स्थिर हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन्हें इस प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में उन्हें यह प्रश्न करने का अधिकार है। प्रधान मन्त्री को "हां" या "नहीं" ही तो कहना है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों पर बाहर ही विचार हो सकता था, सदन के अन्दर नहीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं श्री मसानी तथा सदन के नेता तथा स्वयं अध्यक्ष महोदय, आप से अपील करता हूँ कि इस विषय पर दो दिन के लिये चर्चा स्थगित कर दी जाये अन्यथा इस चर्चा से इतना मन मुटाव हो जायेगा कि संसद का कार्य चलना ही असंभव हो जायेगा। मेरा आप से यह निवेदन है। निर्णय करना आपका काम है।

श्री सोनावने (पेंढ़रपुर) : क्या विरोधी दल अकस्मात् ही यह प्रश्न उठा सकता है। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : आप किस नियम के अन्तर्गत इस चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जिस सदस्य के नाम कोई प्रस्ताव कार्य सूची में हो तो उन्हें पुकारे जाने पर वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसे वापिस ले सकते हैं। ऐसा करते समय उन्हें अपना भाषण केवल इस कथन तक ही सीमित रखना होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में यह ध्यान रखना है कि यह गौरव-पूर्ण तरीके से हो और वह बातें आपको अपनानी चाहियें। यह प्रयास किया गया कि संसदीय प्रक्रिया को ठीक प्रकार से चलाने को एक रवैया के कारण कठिन बनाया जा रहा है। श्री मसानी तो केवल पहले दिये गये आश्वासन को दोहरा रहे हैं। संसदीय औचित्य नियमों से भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

Shri Tulsidas Jadhav (Vasmati) : We do our parliamentary work according to rules. Therefore Sir, you please now put the motion of Deputy Speaker's election to the vote of the House.

Shri Madhu Limaye(Monghyr) : You kindly read Rule No. 389 and according to that you can permit Shri Masani to ask the Prime Minister about the understanding reached with her about the election. She had agreed that if the opposition parties reach at a unanimity regarding the choice of name, she would accept it. In ease she wants to back out of that agreement, it would be a different matter. There are Congressmen who are against such backing out. That is why I want them to have an open vote on it and not act according to the whips system.

अध्यक्ष महोदय : जहां नियमों में स्पष्ट उपबन्ध हों तो उनका पालन करना ही होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मन्त्री का व्यवहार नैतिकता के विरुद्ध है, वह बाहर कुछ कहती हैं और सभा में कुछ और कहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को किसी बात पर सहमत होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। अध्यक्ष होने के नाते मेरा कार्य इस समय चुनाव कराना है। इसलिये मैं श्री मसानी से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : प्रधान मन्त्री के चुप रहने से ऐसा दिखाई देता है कि वह समझौते से मुकर गई हैं। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I do not want to move my motion.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यदि प्रधान मन्त्री अपने वचन पर कायम नहीं हैं तो मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : कांग्रेस की ईमानदारी को परखने के उद्देश्य से मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करता ।

श्री मी० रू० मसानी : प्रधान मन्त्री के इस रवैये को देखते हुए हम इस कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहते । इसलिये हम सदन से बाहर जा रहे हैं ।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री खाडिलकर को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए ।"

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नांडयाल) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, permit us to withdraw from the house. No wise person should enter into an agreement with them. No talk of cooperation should be held with them.

(इसके पश्चात कुछ सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Some hon. Members then left the House)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन के सामने केवल एक ही प्रस्ताव है ।

प्रश्न यह है :

"कि श्री खाडिलकर को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आर० के० खाडिलकर को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं । मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें ।

(इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने अपना स्थान ग्रहण किया)

(Mr. Deputy Speaker then occupied his Seat)

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जो श्री मसानी ने कहा उसे स्पष्ट करने के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहती हूं ! यह सत्य है कि हमने कहा था कि यदि विरोधी पक्ष सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार खड़ा करें तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे । परन्तु 12 बजे दोपहर तक, जो कि समय हमने ऐसी सूचना का रखा था, कोई सूचना हमें नहीं दी गई । उसके बाद उन्होंने कहा कि वे अब सर्वसम्मत हैं परन्तु हमारी सूचना यह थी कि वे इस मामले पर सर्व-सम्मत नहीं थे । कल रात तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी ।

मैंने श्री मसानी को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि 12 बजे दोपहर तक हमें उन्होंने अपनी सम्मति के बारे में नहीं बताया तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे । परन्तु श्री मसानी ने ही मुझसे कहा था कि तीन बड़े विरोधी दल उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं परन्तु उन्होंने कहा कि इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो गया है । मैं स्वयं तो किसी विरोधी पक्ष के व्यक्ति को ही उपाध्यक्ष बनाना चाहता था । मैंने तो प्रधान मन्त्री से अपनी बात-चीत में भी यही कहा था कि अध्यक्ष सरकारी दल की ओर से तथा

उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष का होना चाहिये। ऐसी परम्परा न पड़ सकने के लिए मुख्यत: विरोधी पक्ष जिम्मेदार हैं। परन्तु कांग्रेस को यह चुनाव दो दिन के लिये स्थगित कर देना चाहिये था। अब चूंकि यह सब हो गया है, मैं श्री खाडिलकर को अपनी ओर से बधाई देता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं श्री खाडिलकर का स्वागत करती हूं तथा अपनी ओर से उन्हें बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वह दोनों पक्षों से न्याय करेंगे। वह इस सदन के लिये लाभदायक होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री खाडिलकर को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि वह अपने कार्य-भार में मेरे लिये भी लाभदायक सिद्ध होंगे।

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सदन के नेता तथा सारे सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे में अपना विश्वास व्यक्त किया है और मैं आशा करता हूं कि वह मेरे साथ सहयोग करेंगे।

आज की बदली स्थिति में सदन की अध्यक्षता सरकार तथा विरोधी पक्षों के बीच पुल का कार्य करेगा और इस सभा की शोभा भी बढ़ेगी। मैं सारे दलों को आश्वासन देता हूँ कि सदन की कार्यवाही चलाने में मैं निष्पक्षता से कार्य करूँगा और जो विश्वास आप ने मुझ में व्यक्त किया है मैं उसके लायक बनूं।

हम संविधान तथा प्रक्रिया और कुछ परम्पराओं से बंधे हुए हैं। हमें अपने सामाजिक उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। धन्यवाद।

रेलवे आय-व्ययक-लेखानुदानों की मांगे (रेलवे), 1967-68
तथा
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1966-67

Budget Railway—Demands for grants (on Account), 1967-68

and

The Demands for Supplementary Grants (Railways) 1966-67

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष राजस्व कार्य संचालन व्यय में 30.28 करोड़ रुपये से घटा कर 26.92 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह रेलवे से प्राप्त वित्तीय अनुमानों के आधार पर किया गया है। गत मास लदान फरवरी 1966 के अपेक्षा 75 हजार टन कम हुई। इसमें शायद और भी अधिक कमी हो जाये। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि घाटा 15.27 करोड़ से अधिक नहीं होगा। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इन मांगों का समर्थन करे।

(एक) लेखानुदानों की मांगें

वर्ष 1967-68 के लिए रेलवे आय व्ययक के सम्बन्ध में लेखानुदान की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	42,99,000
2	विविध व्यय	1,53,13,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	12,49,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	21,18,38,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	67,79,32,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	43,25,66,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	42,75,82,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	12,52,79,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	10,64,74,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	7,39,36,000
11	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	33,00,02,000
11-क	संचालन व्यय–पेंशन निधि में विनियोग	5,01,67,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	6,00,00,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	3,75,00,000
14	नयी लाइनों का निर्माण	12,70,90,000
15	चालू लाइन निर्माण—पुंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,78,44,75,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	1,37,69,000

(दो) अनुपूरक अनुदानों की मांगें

वर्ष 1966-67 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विविध व्यय	1,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	3,08,13,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	10,89,79,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	4,58,96,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	7,80,82,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	2,81,92,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	86,87,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	42,41,000
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	15,26,93,000

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचेरापल्लि) : अन्तरिम बजट पेश करते समय मंत्री जी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे मुख्य बजट पेश करते समय वह किराये और भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव कर सकें । वह देश को यह आश्वासन दें कि किराये और भाड़े में वृद्धि नहीं की जायेगी । यदि भाड़े में वृद्धि की गई तो इससे वस्तुएँ मँहगी हो जायेंगी और लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी । बजट में जो राजस्व में कमी बताई गई है वह वास्तव में कमी नहीं है क्योंकि हाल ही में **भारित-पूंजी** पर दिये गये लाभांश की दर में $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत की वृद्धि की गई है । संसार के किसी और भाग में भारत को छोड़कर, इतना अधिक लाभांश नहीं दिया जाता ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात २ बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN HOURS OF THE CLOCK

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे आयव्ययक-लेखानुदान की माँगें (रेलवे) 1967-68
तथा
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1966-67 जारी

Budget (Railways)-Demands for Grants on Account 1967-68
and
Supplementary Demands for Grants (Railways) 1966-67 (contd.)

श्री आनन्द नम्बियार : वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने बजट पेश करते हुए कहा था कि यह पहली बार है जब कि रेलवे को सामान्य राजस्व से उधार लेना पड़ रहा है । मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उनको सामान्य राजस्व से ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । बजट में जो स्थिति दिखाई गई है, वह तो केवल आंकड़ों का हेर-फेर है । रेलवे की आय में इतनी कमी नहीं हुई है कि उन्हें ऋण लेना पड़े ।

रेलवे में अनावश्यक व्यय बहुत होता है । यह उसके कार्य को देखते हुए बहुत अधिक है । 1955-56 में 968.98 की भारित पूँजी 1965-66 में बढ़कर 2630.32 करोड़ रुपये हो गई है । इसमें लगभग ढ़ाई गुना वृद्धि हुई है । इन दस वर्षों में रेलवे की पूँजी में 1700 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । क्या इसके कार्य को देखते हुए इतना अधिक व्यय करने का औचित्य बैठता है ? 1955-56 में रेलवे की माल ढोने की क्षमता 1159 लाख टन थी और अब यह 2031 लाख टन है । क्या केवल 880 लाख टन के लिए 1700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का औचित्य सिद्ध होता है । उन्होंने इसका औचित्य बताया है लेकिन मैं इस बात से राजी नहीं हूँ ।

सामान्य राजस्व में 1955-56 में 36.12 करोड़ रुपये दिया जाता था जब कि अब यह राशि 116.28 करोड़ रुपये हैं । एक ओर तो आप इतनी अधिक राशि सामान्य राजस्व में दे रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि आप सामान्य राजस्व से ऋण लेंगे और उसका भुगतान किराया और भाड़ा बढ़ा कर करेंगे । इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह सब आंकड़ों का हेर फेर है । 5.75 प्रतिशत या 4.50 प्रतिशत लाभांश देने का कोई औचित्य नहीं है ।

रेलवे की आय बढ़ रही है और उसका विनियोग विभिन्न प्रकार से इस तरह किया जा रहा है ताकि जनता को यह बताया जा सके रेलवे के पास धन नहीं है और इसलिए किराये और भाड़े में वृद्धि करनी होगी, कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी और उनका कार्य-भार बढ़ाना होगा। इसी उद्देश्य से आपने आंकड़े इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर दिखाये हैं।

श्री चे० मू० पुनाचा : यह लाभांश वह ब्याज है जो भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी पर लिया जाता है। ऋण की दर लगातार बढ़ रही है और इसलिए लाभांश की दर में भी उसी के अनुकूल वृद्धि करनी पड़ती है। यह तदर्थ नहीं है।

श्री आनन्द नम्बियार : आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि सामान्य राजस्व कम प्रतिशत दे रहे हैं जब कि रेलवे अधिक प्रतिशत दे रही है।

1965 में मूल्य-ह्रास (डेप्रिशियेशन) की राशि 45 करोड़ थी और अब यह 85 करोड़ है। रेलवे ने खर्च किए जाने वाले धन से लाभ के अनुपात में अनावश्यक और अनुचित ढंग से खर्च किया है।

ऐसा वातावरण पैदा करके कि आपको अधिक धन की आवश्यकता है, आपने रेलवे कर्मचारियों पर, जिनको आप कम वेतन देते हैं, आघात किया है।

श्री क० ना० तिवारी : मूल्य-ह्रास में वृद्धि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कार्य-भार बढ़ गया है, वैगन भार और अन्य बातों में वृद्धि हुई है।

श्री आनन्द नम्बियार : आप ठीक कहते हैं कि कार्य बढ़ गया है। आपका हिसाब लगाने का ढंग गलत है। पिछले दस वर्षों में खर्च गई रकम के लिए अधिक मूल्य-ह्रास की क्या आवश्यकता है।

यह भी कहा गया है कि अगस्त 1966 में कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी और सेवा–निवृत व्यक्तियों के स्थान पर भी नई नियुक्तियां नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भर्ती नहीं की जायेगी और मितव्ययता के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई जायेगी। इसका परिणाम यह होगा कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका कहना है कि पिछले दस वर्षों में 85 प्रतिशत टन-भार बढ़ गया है। इसके लिए और कर्मचारी चाहियें। लेकिन आप मितव्ययता के नाम पर उनकी छंटनी करना चाहते हैं। रेलवे का प्रथम दायित्व कर्मचारी हैं जो रेलवे चलाते हैं। रेलवे कर्मचारी इन्जन में ईंधन की तरह हैं। यदि ईंधन नहीं होगा तो इन्जन चल नहीं सकता और यदि आप रेलवे कर्मचारियों को खुश नहीं रखेंगे आप रेलें नहीं चला सकते। दुर्घटनायें भी अधिक होने लगेंगी। जहाँ कहीं आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होंगे, रेलें नहीं चल सकतीं। जब दुर्घटनायें होती हैं तो कह दिया जाता है कि फिश प्लेटें उखाड़ी गई हैं, तोड़फोड़ की आशंका है। यह सब गलत है।

मन्त्री महोदय का कहना है कि प्रक्रियाओं के अभिनवीकरण और सरलीकरण और अनुत्पादक काम का उन्मूलन कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण करना पड़ेगा। बड़े सुन्दर ढंग से यह बात कही गई है। लेकिन मुझे अनेक तार मिले हैं कि रेलवे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनकी छंटनी की जा रही है, उनको स्थानांतरित किया जा रहा है और उनको तंग किया जा रहा है।

रेलवे कर्मचारी चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड छँटनी रोकने के लिए कुछ कार्यवाही करे और रेलवे मन्त्री अधिक छँटनी करना चाहते हैं। कल ही वित्त मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई ने कहा था कि वह छंटनी करना चाहते हैं।

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ और यदि कर्मचारी फालतू हुए तो अन्य बातों के साथ-साथ इस बारे में भी विचार किया जा सकता है।

श्री आनन्द नम्बियार : रेलवे मन्त्री भी यही कहते हैं कि अभिनवीकरण और कर्मचारियों को ठीक से काम पर लगाने की दिशा में यदि आवश्यक हुआ तो मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूँ कि वह मई में अगले बजट प्रस्तावों में किराये और भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं करेंगे। दूसरे यह कि जिन कर्मचारियों का नाम आज नामावलि पर है, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी अथवा आकस्मिक हों, उनकी छंटनी नहीं की जायेगी और उनके स्थान पर किसी और को न रखा जायेगा। तीसरे रेलवे उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त भार नहीं डाला जायेगा। चौथे वह रेलवे कर्मचारियों और रेलवे प्रशासन के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित करेंगे।

उनको श्रमिक सम्बन्ध भी अच्छे बनाने चाहियें। यद्यपि उन्होंने कहा है कि दो रेलवे कर्मचारी संघों के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे हैं, उनको राजनीतिक कारणों से मान्यता दिये गये संघों के साथ भी उचित सम्बन्ध रखने चाहियें। चित्तरंजन कारखाने में किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे और भी कई संघ हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं और जिन्हें राजनीतिक कारणों से मान्यता नहीं दी गई है। मन्त्री महोदय को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री जे० एम० बिस्वास (बाकुरा) : रेलवे के घाटे के आय व्ययक का पेश किया जाना एक भारी चिन्ता का विषय है। एक सिद्धांत यह है कि कर उतना लगाया जाना चाहिये जितना जनता वहन कर सके। परन्तु रेलवे के मामले में कर आवश्यकता से अधिक लगाया गया है। माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे प्रशासन ने भाड़े तथा किराये बढ़ाकर अपनी वित्तीय हानि पूरा करने का निश्चय किया है। परन्तु मेरे विचार से यह एक खतरनाक कदम है और मैं रेलवे मन्त्रालय को इस बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ। भाड़े तथा किराये में वृद्धि किए जाने से स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विस्तार योजनाओं में कटौती किये जाने से रेलवे पर निर्भर इस्पात तथा अन्य उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे इन उद्योगों में काम रुक गया है।

मैं सरकार की मजूरी नीति से सन्तुष्ट नहीं हूं। रेलवे प्रशासन तथा जनता यह चाहती है कि रेलवे का संचालन ठीक प्रकार से होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि रेलवे में काम करने वाले श्रमिक पूर्णतया सन्तुष्ट रहें। रेलवे के श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। पन्द्रहवें त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि सभी सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी 185 रुपये होनी चाहिये। दिल्ली क्लाथ मिल में काम करने वाले

श्रमिक की न्यूनतम मजूरी लगभग 174 रुपये है। टाटा की कम्पनी में न्यूनतम मजूरी 184 रु० है। परन्तु रेलवे में एक नैमित्तिक श्रमिक की न्यूनतम मजूरी केवल 50 रुपये है। रेलवे प्रशासन एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। 50 रुपये में से भी, एक नैमित्तिक श्रमिक को इन्जीनियरिंग आफिसर को कुछ देना पड़ता है। रेलवे में ऐसी हालत है।

इस समय इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि रेलवे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि की जाय। यह तभी हो सकता है जब कि उनकी कार्य की दशा में सुधार हो। उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाय। उनको उचित वेतन मिले। परन्तु इनके साथ घोर अन्याय किया गया है। उनकी अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं होती। एक वरिष्ट कर्मचारी के हक को मार कर एक जूनियर कर्मचारी की पदोन्नति कर दी जाती है। छुट्टी तथा पदोन्नति के लिए भी कर्मचारी को घूस देनी पड़ती है।

अखिल भारतीय रेलवेमैन फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में मुझे रेलवे अधिकारियों से मिलने का मौका मिला है। इन्होंने भी इस बात को माना है कि मेरी शिकायतें निराधार नहीं हैं। मेरा रेलवे मन्त्री जी से निवेदन है कि वह इन सब बातों की व्यक्तिगत रूप से जांच करें।

रेलवे में भाई भतीजावाद और पक्षपात का बोलबाला है। मेरी नये मन्त्री, श्री पुनाचा, से प्रार्थना है कि वे इस दिशा में कुछ करें। वह यह न समझें कि मैंने ये सब बातें केवल विरोधी दल का सदस्य होने के कारण ही कही हैं और मेरी बातें निराधार हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह मेरे द्वारा रेलवे में किए गए कार्य के अनुभव पर आधारित है।

रेलवे दुर्घटनाओं के लिए आप रेलवेमैनों को दोष देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप रेलवेमैनों को कम मजूरी देते हैं। दूसरा कारण यह है कि उन पर एक के बाद एक चार्ज शीट लगाये जाते हैं। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके साथ यह व्यवहार किया जाता है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें सरकार को कोई धन व्यय नहीं करना पड़ेगा। इसके कर्मचारी स्वर्गीय पंडित नेहरू से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी यूनियन के सभापति, श्री हरिदास चक्रवर्ती को बदल दो जो एक साम्यवादी है। यह इस बात का संकेत था कि यदि इस सभापति को बदल दिया गया तो यूनियन को मान्यता मिल सकती है। परन्तु सभापति के बदल देने के बाद भी मान्यता नहीं दी गई। कर्मचारियों के पास प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायतें पेश करने का माध्यम क्या है। क्या यह लोकतन्त्रात्मक है।

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधिकरणों तथा आयोगों ने, जैसे कि नये कार्य सम्बन्धी समिति, शंकर सरन न्यायाधिकरण, वर्गीकरण न्यायाधिकरण तथा चौथी श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति समिति, अपनी सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था परन्तु उनमें से किसी भी सिफारिश को सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। सरकार को इन सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। रेलवे के इन नियमों का, कि वरिष्ठ कर्मचारी को पहले पदोन्नति मिलनी चाहिये, पालन नहीं किया जाता। एक कर्मचारी को निश्चित अवधि की सेवा के बाद चुनाव बोर्ड के सामने पेश होने के बाद पदोन्नति मिलनी चाहिये जिसका वह अधिकारी है। इन नियमों का उचित ढंग से तथा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ पूरा न्याय होना चाहिये।

सरकार द्वारा गठित श्रम ठेका सहकारी समितियों का दशा क्या है। योजना आयोग की सिफारिश पर इन समितियों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। परन्तु स्थिति यह हुई कि रेलवे की श्रम ठेका सहकारी समितियाँ भ्रष्ट हो गईं क्योंकि वे इंजीनियरिंग आफिसरों को घूस नहीं दे सकीं जैसा कि कृपालानी समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। एक ठेकेदार ने कृपालानी समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। इसी कारण इन समितियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

अदरा में रेलवेमैनों द्वारा जो श्रम ठेका सहकारी समिति गठित की गई थी और जिसके लिए रेलवे अधिकारियों ने बहुत से वायदे किये थे वह अब टूटने वाली है जिसका मुख्य कारण रेलवे अधिकारियों का असहयोग है।

मेरा सुझाव है कि गैरसरकारी ठेका प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। इन गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा बनाई गई इमारतें तीन महीने के बाद ही वर्षा और तूफान में गिर गईं। जांच से पता चला कि इमारतों में सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। सारा सीमेंट चोर बाजार में चला गया। ये ठेकेदार अधिकारियों को जो घूस देते हैं वह अपनी जेब से नहीं देते हैं। वे इसी प्रकार से इस घूस की रकम को वसूल करते हैं।

बी० टी० एम० का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (c) के अन्तर्गत टाटा के बी० टी० एम० को हटाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये हैं जो कि एक दार्शनिक हैं। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताये नौकरी से बरखास्त किया जा सकता है।

[श्री द० स० राजू पीठासीन हुए
SHRI D. S. RAJU *in the Chair*]

बहुत से व्यक्ति नौकरी से हटा दिये गये हैं। कुछ संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (c) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये हैं और कुछ जनरल मैनेजर की विशेष शक्तियों के अन्तर्गत। राष्ट्रपति द्वारा ये व्यक्ति नौकरी से क्यों हटाये गये हैं। उन्होंने क्या अपराध किया है। जब हमने रेलवे अधिकारियों से इस बारे में बात-चीत की तो उन्होंने बताया कि किसी आदमी को प्रजा समाजवादी दल का सदस्य होने के कारण और किसी को साम्यवादी दल का सदस्य होने के कारण निकाला गया है। हमारे यह पूछने पर कि उनके विरुद्ध चार्जशीट क्यों नहीं दिये गये अधिकारी ने बताया कि "हम आरोपों को सिद्ध नहीं कर सकते। अत: उन्हें निकालने के लिए राष्ट्रपति के नाम का प्रयोग किया गया है।"

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता। आप इस बारे में अपना विनिर्णय दें।

श्री जे० एम० बिस्वास : जब तक रेलवेमैनों की कार्यकुशलना नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक आप एक अतिरेक बजट नहीं बना सकते। देश की जनता यह चाहती है कि जिन लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया है, उन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिये। मेरा रेलवे मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इसकी ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय : उनका समय समाप्त हो गया है। अब वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जे० एम० बिस्वास : मैं एक रेलवेमैन हूँ और मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। जगाधरी में सवारी गाड़ियों में डिब्बों में रोशनी नहीं है। देहरादून से अमृतसर 349 अप, दिल्ली से अम्बाला 331 अप और दिल्ली से सहारनपुर 1 डाउन में डिब्बों में रोशनी नहीं है। रोशनी के अभाव में चोर आसानी से डिब्बों में घुस सकते हैं। लोग डिब्बों में रोशनी न होने के कारण यात्रा करते हुए डरते हैं। रोशनी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं विलम्ब शुल्क के बारे में कुछ कहूँगा। विलम्ब शुल्क की पूरी राशि वसूल करके रेलवे को भारी आय हो सकती है। अब मैं बताऊँगा कि रेलवे को किस प्रकार विलम्ब शुल्क की भारी राशि प्राप्त नहीं होती है जिसे कि वसूल किया जा सकता है। रेलवे कोयलाखानों को माल डिब्बे भेजती हैं कोयलाखानों के लिये यह आवश्यक है कि वे डिब्बों को भरकर उन्हें पाँच घन्टे के अन्दर वापस भेज दें। परन्तु वे समय के अन्दर डिब्बों को भरकर वापस नहीं भेजती हैं और 24 घंटे तक उन्हें रोक लेती हैं। उनसे कोई भी विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाता। इसका क्या कारण है। रात के समय कुछ फर्नीचर, कुछ नगदी तथा अन्य चीजें रेलवे के संचालकों के पास जाती हैं और इस प्रकार से कोयलाखानें तथा अन्य गैर-सरकारी वर्कशाप विलम्ब शुल्क की अदायगी से बच जाती हैं।

मैं मन्त्री जी के पास अपने आरोपों की एक सूची तैयार करके भेजूंगा। मुझे पूर्ण आशा है कि मन्त्री जी इनके बारे में प्रभावशाली कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : श्रीमन् मेरे द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न पर आप अपना विनिर्णय दें।

सभापति महोदय : इसमें कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Mr. Chairman, I welcome the Budget presented by the Railway Minister. I am in full agreement with Shri Nambiar that there should not be any retrenchment in the Railways. Railway is a business concern. Some sources of revenue will have to be found out for providing amenities to passengers and for the laying of new Railway lines.

A huge amount of money can be saved if cases of pilferage of railway stores, material etc. are not allowed to take place. The Civil police should be given all the rights enjoyed by the Railway police by which such cases can be checked more effectively. The cooperation of the Labour Unions should also be sought for the purpose.

Complaints and appeals made by employees of lower categories are not attended to properly. There is undue delay in their disposal. I would request that their appeals should not be kept pending for an indefinite period. More than six months should not be taken in any case in deciding these appeals.

Priority should be given to border areas and places of strategic importance while laying new railway lines.

There is lack of amenities for the passengers. It is essentisal that proper arrangements are made for drinking water and catering for the passangers. These things are pointed out in every session to the hon. Minister but nothing is being done. The departmental catering arrangements, wherever these exist, are also not satisfactory. The late running of trains is frequent. One exuse or the other is ordinarily given in every case. Steps should be taken to ensure that the trains run in time.

I would like to draw your attention to the recent press reports that the coal of inferior quality has been supplied to the railway as a result of which it incurred huge loss and

its operating efficiency also received a set back. The hon. Minister should apprise the House with the correct information in this regard so that the misunderstanding in the mind of the public might be removed.

The Railway Police Force and the staff of lower category should be provided with accomodation, uniform and food.

The people of Bihar have to go to Calcutta or Allahabad for interview before the Railway Public Service Commission which is a source of great inconvenience to them. Therefore, a branch of Railway Public Service Commission should be opened in Bihar.

The question of constructing a brigde at Narena has been hanging for the last 40 years. This should not be delayed any more. The Railway Department has been requested several times to take action in this regard but nothing has been done so far. It is not known how these departmental officers conduct enquiry. Talks have to be made with Nepal Government for the construction of this main line because the line will pass through Nepal territory. I think Nepal Government will have no objection to it.

I hope the hon. Minister will consider the points made by me and take proper action.

रेलवे की लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	1	श्री धीरेश्वर कालिता	जोगीघोपा और पंचरत्न को मिलाने के लिये ब्रह्मपुत्र पर दूसरा पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	2	श्री धीरेश्वर कालिता	बड़ी रेलवे लाइन को जोगीघोपा से तिनसुकिया तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	1	श्री के० आनन्द नम्बियार	नई बनाई गई दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली तथा विजयवाड़ा डिवीजनों के भूतपूर्व दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण करने से इन्कार और इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा भूख हड़ताल तथा आन्दोलन ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	2	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे श्रमिकों को खाद्यान सस्ते दामों पर उपलब्ध न करना ।	100 रुपये
5	3	श्री के० आनन्द नम्बियार	गोलडन राक में दक्षिणी रेलवे के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण अनुभाग (पोस्ट वार टिकंस्ट्रकशन सेक्शन) के विद्युत् विभाग में दो से चार वर्ष की सेवा वाले अनियत मजदूरों की छंटनी के कारण बेचैनी ।	100 रुपये
5	4	श्री के० आनन्द नम्बियार	दक्षिणी रेलवे पर गोल्डन राक की रेलवे कालौनी में शेष "सी" टाइप क्वार्टरों में बिजली देने से निरन्तर इनकार ।	100 रुपये
5	5	श्री के० आनन्द नम्बियार	दक्षिणी रेलवे पर गोल्डन राक की रेलवे कालोनी के क्वार्टरों तथा सड़कों की मरम्मत तथा उनके अनुरक्षण की निरन्तर उपेक्षा ।	100 रुपये
5	6	श्री के० आनन्द नम्बियार	डीजल इंजन चलाने के कारण रेलवे के सभी रेल इंजन घरों (लोको शेड) में बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी के कारण बेचैनी ।	100 रुपये
6	7	श्री के० आनन्द नम्बियार	दक्षिण रेलवे में परिचालन कर्मचारियों जैसे कि स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, लीवर चालकों, कांटेवालों, बुकिंग एवं कामर्शियल क्लर्कों का निरन्तर अभाव और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा कर्मचारियों से अत्याधिक काम लिया जाना जिसके कारण सुरक्षा तथा क्षमता में गिरावट ।	100 रुपये
6	8	श्री रामावतार शास्त्री	रेल इंजन घरों (लोको शैड) के कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	9	श्री के० आनन्द नम्बियार	कोयले के मूल्यों में वृद्धि, कोयले तथा डीजल तेल पर केन्द्रीय बिक्री कर में वृद्धि तथा बिजली बोर्डों द्वारा ली जाने वाली उच्च दरों के परिणामस्वरूप रेलवे व्यय में अनुचित वृद्धि ।	100 रुपये
9	11	श्री के० आनन्द नम्बियार	रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग तथा डाइनिंग कारों में दिये जाने वाले भोजन के स्तर में गिरावट ।	100 रुपये
9	12	श्री रामावतार शास्त्री	रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अपर्याप्त सहायता देना ।	100 रुपये
4	13	श्री अब्दुल गनीदार	माल-गाड़ियों में माल की चोरी और क्षति को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
5	14	श्री अब्दुल गनी	डीजल इंजनों के प्रयोग के कारण रेल-इंजन घरों (लोको शैड) में बड़े पैमाने पर छंटनी से बहुत से लोगों में बेचैनी ।	100 रुपये
9	15	श्री अब्दुल गनी	रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग डाइनिंग कारों में भोजन आदि का निम्नस्तर ।	100 रुपये
9	16	श्री अब्दुल गनीदार	रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिये अपर्याप्त व्यवस्था तथा दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को डाक्टरी सहायता उपलब्ध न होना ।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

Shri George Fernandes (Bombay East) : It is not at all surprising to me atleast to note that a deficit railway budget has been presented because the former Railway Minister Shri Patil who had been incharge of the Railways during the last two and a half years had been widely known for his actions which lead to disaster. The food situation had been quite normal, but for his taking the food portfolio that the food crisis percipitated. When he was Railway Minister there were so many accidents, during a very short period that the members had to

call him "accident's Minister". So it should be no surprise to us that the Railway budget is a deficit budget and there is likelihood that the railway passanger fares and the freight charges would be raised during the next two or there months.

While speaking on the Railway budget I want to make it clear that I have much doubt, whether the Congress Government would be able to deliver the goods, but because it is my duty to point out the mistakes committed by Government. I would like to say a few words regarding this budget. From the Audit Report which has been presented to the House along with the budget it becomes quite clear that corruption is rampant in Railway Department. In fact no department of the Government is free from corruption, but after reading the Audit Report it may safely be said that railways figures at the top so far ss corruption is concerned. The Audit Report says that the Railways had to suffer a loss to the extent of Rs 105 crores due to financial irregularties. I want to draw the attention of the House to page 43 of the Audit Report which says that the Western Railway had to suffer during the last three years a loss to the extent of Rs 48 lakhs from irregular loading of goods from one station alone. When this case of incorrect classification of a commodity was brought to light to the authorities, it was not decided for two or three years either by the Railway Minister or by the Railway Board and those responsible for this criminal wastage were given no punishment. When it was decided it was decided in such a way which is helpful for the continuance of corruption. So I would like to emphasise that before talking about the increase in railway fares and freight charges attention should be paid to eradication of corruption from the railways so that honesty may be brought in public life and the people be saved from the burden of new fares and freight charges. There had been as many as 40 to 50 railway accidents in India during a short period of six months and I think that the root cause of all these accidents is corruption. I would like to draw the attention of the Railway Minister to an article published in the 'Indian Express' by Shri Kamal Nayan Bjaj in which he has proved that these accidents are niether due to human failure of the staff, nor due to nature as claimed by the ex-railway Minister, nor due to political parties as claimed by Congress during the elections, but they are all due to corruption in the Railway Department. The Audit Report also confirms this assumption. I would like to the Railway Minister to note down that at page 32 of the Audit Report it has been given that 75 thousand fish plates were purchased by the Railways through the Director General of Supplies and Disposals, in April, 1962. Out of these many fish plates were used and it was detected as late as in December, 1965 and September, 1966 that all these fish plates were defective. So all the fish plates which were fitted had to be removed aud the rest which were unutilised had to be returned to the company concerned. These defective fish plates had been responsible for many railway accidents, but the responsibility of these accidents is being shifted to the political parties etc. This is how railway Administration is working. So it is essential that immediate steps should be taken to eradicate corruptions from Railway Administration.

It is unfortunate that a very large number of saloons which are well built and furnished with choice fittings have been reserved for the use of high officers of the Railway Department. A very large sum of money is being spent on the maintenance and up keep of these saloon. I suggest that this system of reservation of saloon for the use of railway officers be stopped forthwith. If it is done, I am sure that as many as one hundred extra railway trains may be started by the use of the coaches which are at present standing idle except for the use of railway officers. If it is done much relief would be given to the public and there would be a saving of huge sums which are being spent at present for the up keep of these saloons. This system of allotting special saloon to the railway authorities should be ended forthwith and if it is essential for any railway officer to undertake a railway journey, he might be given a ticket on priorty basis or special arrangement may be made for the booking of railway officers, as have been made in the case of Members of Parliament. It is criminal waste of public money to spend so much money on these saloons. I also suggest that the special coaches meant for foreign tourists should also be utilised. Public

money is being wasted by the railway Administration and there is no one, neither the Railway Ministry, nor Lok Sabha nor any member of the Railway Board to see and put an end to this criminal wastage. I am sure if the wastage is eliminated, the question of deficit in railway budget will not arise. I suggest that a Committee of the Members of Parliament be constituted to suggest concrete measures to eradicate corruption from the Railway Administration.

Next I would like to point out that there are two federations in the Railways. The office bearers of these federations excepting a few have been given free first class all India railway passes. They tour the country from one corner to the other and pay no heed to the welfare of the labourers. I would suggest to the Railway Minister that only one federation should be recognised. There should be only one labour organisation in the railways. About the question of recognisation as to which one of these organisations should be recognised, it would suggest that it should be decided by a secret ballot and the organisation which is supported by the majority of railway workers should be recognised. The other organisation should be advised to wait for two years and after the expiry of two years there should again be voting by secret ballot and the organisation which is supported by the majority should be recognised. I also suggest that with this recognisation the facility of free air-conditioned pass etc. should be ended.

Again I would like to point out that a step motherly treatment is being metted out to the railway labourers. They are being explioted. I was surprised to read in the Audit Report that it has been suggested therein that contract labour system should be encouraged in the Railways. It has been pleaded therein that the contract labour system would result in economy. But it is self contradictory that on one hand Government is trying to abolish contract labour system and a bill to this effect is likely to be brought forward in Parliament by the Ministry of Law and on the other hand contract labour system is being encouraged by the Railway Ministry. It is also unique that Railway Ministry is not honouring the labour laws of the land. The labour laws should be honoured by the Railway Ministry.

Lastly I would touch a very vital point. At present the railway coaches have been divided into four categories i.e. air conditioned, first class, second class and third class. From the figures furnished by the Railway Board it appears that the bulk of railway revenue is received as a fare from the third class passangers. It has been stated in the Railway Board's report that during 1965-66 amount of Rs. 1 crore and 99 lakhs was received as fare from the passangers travelling in air conditioned coaches and an amount of Rs 192 crores and 66 lakhs was received from the passangers travelling in third class compartment. So the major portion of the railway revenue is received from the passangers travelling in Third class. But in spite of the fact that they are the major contributors of the railway revenue, no attention is paid by the railway department to those passangers who travel in third class. The railway employees look only after the comforts of those who travel either in air conditioned or in first class coaches. Those who travel by third class have to face many difficulties and no facilities have been given to them. So I suggest that the disction between one class and the other in Railway should be abolished. There should be no first class and no third class. There should be only one class. This class disction should go and every one who travels by railways should be given equal treatment.

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रेलवे बजट एक घाटे का बजट है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है। परन्तु मेरे विचार में इस घाटे का दोष केवल रेलवे पर नहीं होना चाहिये। रेलवे बजट में जो घाटा दिखाया गया है, वह हमारे देश की आर्थिक स्थिति का परिणाम है। सारा देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इसी का प्रतिबिम्ब रेलवे बजट में भी है। रेलवे में जो घाटा हुआ है इसका कारण उद्योगों

की बुरी स्थिति, यातायात में गिरावट तथा ऊँची कीमतें हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे कारण हैं, जिससे रेलवे बजट में घाटा दिखाया गया है, अन्यथा पहले तो रेलवे से सामान्य आय-व्ययक में पर्याप्त धन मिलता था और उसका कार्यसंचालन भी प्रशंसनीय होता था। वर्ष 1965 में रेलवे ने प्रशंसनीय कार्यकुशलता का परिचय दिया था। परन्तु गत छः अथवा सात महीनों में रेलवे की कार्यकुशलता गिर गई है। हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा। अन्ततः एक कार्यकुशल संगठन को और अधिक कार्यकुशल बनाया जाना चाहिये, न कि उसमें गिरावट आनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है उससे यह सिद्ध होता है कि रेलवे कर्मचारियों में अब अधिक असंतोष है। प्रशासन में गिरावट आती जा रही है तथा यात्रियों में भी भारी असंतोष है।

रेलवे प्रशासन संसद सदस्यों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसा व्यवहार करता है। हालांकि संसद सदस्यों को केवल एक साधारण प्रथम श्रेणी का पास प्राप्त है, परन्तु हम चाहें अथवा न चाहें, हमारे साथ एक विशेष विशिष्ट व्यवहार किया जाता है। किन्तु आम जनता की बहुत सी कठिनाइयां है। देश के अधिकतर लोग तीसरे दर्जे में सफर करते हैं और मुख्य रूप से उन्हें ही इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरे दर्जे के यात्रियों को विशेष सुविधायें नहीं दी जा सकती, किन्तु तो भी वे अन्य किसी यात्री के समान है, चाहे वह वातानुकूलित डिब्बे का यात्री हो, और उन्हें उसी के समान शिष्टाचार तथा विशेष अधिकार का हक है।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि देश की स्थिति खराब है और साधारण व्यक्ति को निर्वाह करने के लिये भ्रष्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ रेलवे में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों पर ही नहीं है अपितु लोगों पर भी है, क्योंकि वे टिकट आदि खरीदते समय, यदि उन्हें कुछ अधिक दाम भी देने पड़ते हैं, तो वे इसकी परवाह नहीं करते और इसे भ्रष्टाचार नहीं समझते।

रेलवे में हजारों आदमी काम करते हैं। जो छोटी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको कोई भी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं। मैंने उनके काम करने की दशा देखी हैं। जहां मालबाबू या बुकिंग क्लर्क काम करते हैं वहां उनके पास एक गिलास पानी पीने को भी नहीं होता है। दूसरी ओर की स्थिति जैसे जार्ज फरनेंडीस ने बताई है ठीक ही है। ऊँचे दर्जे के अधिकारी जिन डिब्बों में यात्रा करते हैं उनमें वैसी ही सुविधायें होती हैं जो राजाओं महाराजाओं को प्राप्त हुआ करती थीं।

रेलवे कर्मचारियों की कई माँगें हो सकती हैं। यदि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं की जा सकती तो वे माँगें कम से कम अवश्य पूरी की जानी चाहियें जो बहुत आवश्यक हों। कई मामलों में संसदसदस्य बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जब हमें कभी यात्रा करने का मौका मिलता है तो लोग अपनी शिकायतें हमारे सामने लाते हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम उन शिकायतों को आगे प्रस्तुत करते हैं तो उनको राजनीतिक विषय समझा जाता है।

[**श्री मनोहरन पीठासीन हुए**
SHRI MANOHARAN *in the Chair.*]

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब हम लोगों की शिकायतों को प्रस्तुत करें तो उनको राजनीतिक विषय नहीं समझा जाना चाहिए। हम तो केवल लोगों की शिकायतें ही मन्त्री महोदय के सम्मुख रखते हैं। उनकी आवास और तबादले आदि की समस्याओं की ओर विशेषकर ध्यान

दिया जाना चाहिये । यदि किसी साधारण कर्मचारी का तबादला बड़ौदा अथवा अहमदाबाद जैसे स्थान पर हो जाये जहां 400 रुपये माहवार से कम मकान किराये पर नहीं मिलता है तो उसको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ जायेगा । तबादला करते समय उनके बच्चों की शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए । जल्दी-जल्दी तबादला होने पर दूसरे स्थान पर जा कर उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है । मुझे आशा है कि ये जो छोटी-छोटी समस्यायें मैंने बतलाई हैं रेलवे मन्त्री अवश्य उन पर विचार करेंगे ।

चूंकि रेलवे प्रशासन नया बना है इसलिये मैं उसे दोषी नहीं ठहराता । परन्तु मुझे आशा है कि नये रेलवे मंत्री रेलवे के पुराने गौरव को बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे ।

मैं रेलवे मन्त्री का ध्यान एक और समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ । सबरकंठा-कैरा जिले में कपडवंज और मोठासा के बीच एक रेलवे लाइन बनाने की चिरकाल से मांग की जा रही है परन्तु अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इन दोनों स्थानों के बीच केवल चालीस मील की दूरी है । यह रेलवे लाइन यात्रा एवं भाड़े दोनों की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी । इन स्थानों में कपास और बनौले आदि की उपज भी बहुत होती है । इसके अलावा वहां पर 20 से 25 तक तेल मिलें भी हैं । यदि यह रेलवे लाइन बना दी जाये तो वहां पर उद्योग का बहुत विकास होगा और रेलवे के राजस्व में भी बढ़ौतरी होगी ।

माल डिब्बों की कमी के कारण भी बहुत नुक्सान हो रहा है । गुजरात के नमक वाले दोनों क्षेत्रों को माल डिब्बों की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है । देश के बहुत से व्यापारी भी माल डिब्बों की कमी के कारण बहुत परेशान है । अतः रेलवे मन्त्री को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

मुझे आशा है कि पुराने मंत्रियों की तरह नये रेलवे मन्त्री भी हमें पूरा सहयोग देते रहेंगे । मैं स्वयं भी उनको अपना सहयोग देने का वचन देता हूँ ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : When we examine the interim budget we find that the country will have to face many a hardship during the ensuing year whetn the main budget will be presented. The Railway department is running at a loss and jus- to make up that loss railway fare and freight are likely to rise. I want to warn the Govern ment that if they are going to take this step the people cannot tolerate it because they are already over burdened. Therefore instead of increasing the rate of fare and freight they should curtail expenditure on administration. The New Railway Minister should learn a lesson from Shri Patil's defeat. The main cause of his defeat was the wrong policies adopted by him. Hence he should frame such policies which are proper and beneficial to the public in general.

The time has now come when the differences will have to be removed. There are people in this country who are earning lakhs and lakhs of rupees while on the other hand there are persons who find it difficult to make both ends meet. In the railways also there we find that on the one hand there are airconditioned coaches and on the other hand the plight of the third class passangers is miserable. This sort of stepmotherly treatment should not be there atleast in railways. Some way must be devised to reduce the rush in third class compartments. More facilities should be provided to the third class passangers. Special attention should be paid in regard to the reservation of seats. The black.marketing in reservation of seats should be put an end to. I would like to suggest that an extra sleeper should be attached with the longdistant train so that the passangers may have the facility to sleep.

It is a very sorry state of affairs that the condition of the railway station at a place like Chandigarh is very bad. There are neither waiting rooms nor bath rooms. There is only one platform and the passangers feel very inconvenient. Efforts are being made to bring Chandigarh on the main line but the difficulty is that it has not been given due consideration. Some steps must be taken to bring it on the main line.

There are sixteen lakh employees in the Railways. They have their own difficulties. These employees have been demanding for a pretty long time that instead of increasing their dearness allowance some shops should be opened from where they could get essential commodities of life at cheap rates. It is all due to the discontentment of the railway employees that accidents are taking place and also that the railways are running at a loss. Therefore it is the need of the hour that this demand of these employees must be met.

They have their housing problem also. For this the railways should acquire the land near the railway stations and allot to the employees. For the construction purpose loan may be given from their Provident Fund Accounts.

The railway employees should get representation in the Railway Board. The demand of the Pay Commission and Conciliation Board should be given due consideration.

I am deadly against electrification and dieselisation of trains because the service potential of the country will freeze thereby. We cannot copy U.S.A. or any other country in this respect because there the capital is more and the labour is less while reverse is the case in India.

In order to check the cases of theft in goods trains the number of armed constables on duty there should be increased. It will also check the loss to railways.

The rules by which restrictions have been imposed on the road transport should be repealed.

There is a great need for the construction of an over-bridge in Patelnagar because a large number of trains pass from there and the public is put to inconvenience.

श्री सी० चिट्टीबाबू (चिंगलपट) : कांग्रेस दल के लोकतन्त्रात्मक समाजवाद का कोई अर्थ नहीं रहता यदि सत्तारूढ़ दल कम से कम रेलवे यात्रियों में अमीर और गरीब के भेदभाव को दूर करने के लिए आमूल परिवर्तन नहीं करता । माननीय रेलवे मन्त्री से मेरी यही प्रार्थना है कि उन्हें ऊँचे दर्जे की प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिए ।

अब मैं दक्षिण रेलवे के पिछड़ेपन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा । यह दु:ख की बात है कि स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद भी त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है । कन्याकुमारी भारतीय लोगों का एक धार्मिक स्थान है जहाँ एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता दिखाई देता है। इसलिए इस लाइन को बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों से 206 करोड़ रुपये की आमदनी होती है परन्तु श्वेत पत्र देखने से पता चलता है कि तीसरे दर्जे के केवल 7000 डिब्बों में पंखे लगाये गये हैं । क्या यह शर्म की बात नहीं है कि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष बाद तीसरे दर्जे के डिब्बों में पंखे लगाये गये हैं । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वह मद्रास से तिरुचिरापल्ली तक यात्रा करें ताकि उनको यह अहसास हो सके कि तमिलनाद के यात्रियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

यह बड़े दु:ख की बात है कि रेलवे कर्मचारियों को 5 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य किया जाता है । उनके काम के घण्टे राज्य सरकार के कर्मचारियों के काम के घण्टों के समान होने चाहिये ।

अट्ठावन वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत्ति हो जाये। इस आयु को बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। अगर यह आयु सीमा बढ़ा दी गई तो बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जायेगी। डाक्टरी, इन्जीनियरी तथा अन्य तकनीकी सेवाओं में यह छूट दी जा सकती है।

इस समय स्थिति यह है कि जो क्वाटर रेलवे गार्डों को दिए हुए हैं उनमें मोटरमैन रह रहे हैं और जो क्वाटर टी० टी० बाबुओं को दिये गये हैं उनमें टिकट कलक्टर रह रहे हैं। परिणाम यह हाता है कि कुछ कर्मचारियों को क्वाटर नहीं मिलते हैं जिसके कारण उन्हें गैर सरकारी मकानों में अधिक किराया देकर रहना पड़ता है। इसलिये सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को क्वाटर दिया जाये वास्तव में वही उसमें रहे।

रेलवे में परिचालक कर्मचारी भी होते हैं जैसे ड्राइवर, गार्ड, टी० टी० बाबू आदि। पहले इन कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर आने के लिये तैयार होने के हेतु कालिंग-ब्वाय भेजे जाते थे। ऐसी व्यवस्था उनके लिये बहुत लाभदायक थी। बाद में यह सुविधा बन्द कर दी गई थी। मैं चाहता हूँ कि उसे फिर से आरम्भ किया जाना चाहिये।

हमें जो पुस्तक दी गई है उसमें लाइनों के सर्वेक्षण पर होने वाले विविध व्यय का उल्लेख किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कितने सर्वेक्षण हो रहे हैं तथा कितने पूरे हो चुके हैं। 1952 में अरकोणम से त्रिची तक ब्राड गेज लाइन बनाने का प्रस्ताव था तथा और भी कई ऐसे प्रस्ताव थे परन्तु वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वह दक्षिण रेलवे में लाइनें बनाने के काम को शीघ्रता से करवायें।

मद्रास-विल्लिपुरम-त्रिची सेक्शन को उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास होने के कारण ब्राड गेज में बदल देना चाहिये। रेलवे बोर्ड ने चिंगलपट और ताम्बरम के बीच 18 मील लम्बी लाइन को दुहरा करने की ओर भी ध्यान नहीं दिया है। मैं यह भी प्रार्थना करूँगा कि कंजीवरम-चिंगलपट लाइन के मामले में भी शीघ्रता से काम किया जाये। त्रिची, मदुरै, तिरुनेलवेलि तथा सेलम आदि स्थानों के इर्द गिर्द उद्योगों का विकास होने के कारण रेलवे का काम अवश्य बढ़ जायेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी पांच वर्षों में रेलवे का कितना काम बढ़ जायेगा योजनायें बनाई जानी चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि मदुरै-तिरुनेलवेलि-तूटीकोरिन सैक्शन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया जा रहा है। उस क्षेत्र की इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए करूर और चिंगलपट के बीच एक नई ब्राड गेज लाइन बनाना नितांत आवश्यक है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मन्त्री महोदय इस क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर अवश्य ध्यान दें।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) ; Mr. Chairman, the increase in deficit is due to the rise in D. A. given to government servants. It is necessary that we pay our attention to employees. The most important thing in this direction should be setting up of cooperative stores. In the North East Railway, I have found that it has made some progress and a novelty has come about. In a socialistic pattern of society, the contract system has got to be done away with.

We should all try to travel by 3rd class. Dr. Ram Subhag Singh when he was Railway Minister visited border areas and even some strategic areas. But I can summarise it in one sentence that "much has been done yet much remains to be done."

I admit that there is much corruption. But we cannot say that all the employees are corrupt.

About goods and parcels I must say that some high standard should be introduced there. The spirit of comradeship lacks in the railway officers and in the absence of that we cannot have socialism.

We should read the White paper in an objective manner.

The Minister has said that he will do something for the staff getting salaries upto Rs. 600-00 But I want to tell him that you will have to do about the education of the children of the staff. You cannot avoid it by saying that that is the responsibility of the state government.

The cooperative movement has worked well but we have to bring improvement into it. You will have to do something for the Class IV employees.. You will have to run the grain shops through the Cooperative societies and only that will satisfy them.

I am surprised to know that only eight miles of the track in the whole of North-Eastern Railway is being restored. I request the minister to pay more attention to give relief to the people of North Bihar.

The information given on page 125 page, item No. 125 is wrong and confusing which should be avoided. The government should provide more facilities for the passangers and the staff.

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासौर) : सभापति महोदय, मैं इस बजट को तीन प्रकार से देखता हूँ। पहले तो यह कि इससे देश में कितनी गतिशीलता बढ़ती है। दूसरे यह कि क्या इससे यात्रियों, विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों की काठिनाईयां दूर होंगी। तीसरे यह कि क्या इससे रेल जैसे राष्ट्रीकरण किये हुए उपक्रम के पुनर्गठन की कोई आशा है जिसके बारे में हम इतनी शेखी मारते हैं। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे बजट से कोई आशा नहीं। पहले तो गतीशीलता के बारे में जो कागज हमें दिये गये हैं उसमें लिखा है कि फ़ास्टयर मेल की रफ़तार 45 मिन्ट बढ़ा दी गई है। आज संसार के अन्य देशों में विशेषकर एशिया के देशों में रेलों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लिये इसका यहां जिक्र भी नहीं आना चाहिए था।

जब मैं सुविधाओं के बारे में देखता हूँ विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए तो मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उनकी सुविधायें घटा दी गई हैं। पहले सुविधाओं के लिए बजट में ४ करोड़ रुपये निर्धारित किए थे लेकिन उसे घटा कर 3 करोड़ कर दिया है।

उसके बाद राष्ट्रीयकृत उपक्रम की बात आती है। राष्ट्रीय करण के नाम पर नौकर शाही का राज हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों तथा छोटे कर्मचारियों के भत्तों में एक सौ का अन्तर है। सभापति महोदय हमारी योजनायें समाप्त हो जायेंगी यदि हमने सारे भारत के उद्धार की योजना नहीं बनाई। कम उन्नत क्षेत्रों में रेल लाईन बढ़ने तथा अधिक रेल सुविधा देने के बारे में आपने क्या किया है। मेरा सम्बन्ध उड़ीसा से है। वहां रेल पटरियों की बहुत कमी है। हमारे राज्य में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें कहा गया था कि उड़ीसा को पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य बनाने में 1400 करोड़ रुपये चाहियें जो इस वर्ष की अवधि में व्यय होना चाहिये। हमारे राज्य में बहुत से जिलों में कोई रेलवे लाईन नहीं है। वहां के लोगों ने इसके बारे में विरोध प्रकट किया है परन्तु कुछ नहीं हो सका। मैं केवल उड़ीसा की बात नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ कि उड़ीसा की भांति जो-जो राज्य अनउन्नत हैं उन सब में विकास हो। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस दिशा में एक आयोग नियुक्त किया जाये जो इस विषमता को दूर करे।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयों को ठीक प्रकार समझने के लिए मेरा सुझाव यह है कि रेल मंत्री बिना अपना भेद खोले मास में एक बार तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा किया करें ताकि इन्हें उनकी कठिनाइयों का ठीक पता चल सके।

यदि आपको आंकड़े देखने हों तो आप गलत अनुमान लगायेंगे। मै तो कहता हूं कि गत 20 वर्षों में रेलों में भीड़ में कमी नहीं हुई अपितु बढ़ी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय के पास तीसरे दर्जे के यात्रियों की स्थिति सुधारने के लिये क्या ठोस सुझाव है।

रेलों में स्लीपर केवल अमीर लोगों के लिए है। गरीबों को तो उनमें से बाहर निकाल दिया जाता है। तथा उसमें मौका ही नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यहां आश्वासन दें कि जो भी टिकट खरीदेगा उसे स्थान मिल जायेगा अन्यथा यह उनके धन का ग़बन है।

मैं चाहता हूँ कि छोटी लाइन की जितनी रेल हैं उन्हें समाप्त किया जाए और उनके स्थान पर बड़ी लाईन बिछाई जायें।

कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में मेरे कुछ मित्रों ने ठीक कहा है कि उन्हें बड़े बड़े अधिकारी तथा मंत्री तंग करते हैं। यह देखकर बड़ा दुख होता है कि जहां बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली हुई हैं, वहां उन स्त्रियों को जो निरीक्षक वर्ग में हैं उन्हें छोटे क्वार्टर भी नहीं दिये जाते। क्या इन बातों को सहन किया जा सकता है? कई रेल के अधिकारी यह कह कर मूर्ख बनाते हैं कि वे रेलवे के कर्मचारियों की उचित मांगों को इसलिये पूरा नहीं कर पा रहे हैं ताकि धन की बचत हो सके।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर विचार करें।

सभापति महोदय : रेलवे मंत्री अब चर्चा का उत्तर देगें।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सभापति महोदय, यह हर्ष की बात है कि चर्चा बहुत आलोचनात्मक थी।

मैने रेलवे के कार्य की ठीक तस्वीर प्रस्तुत की है। मैंने यह उचित समझा कि ठीक तस्वीर रखकर मुझे सदस्यों के अमूल्य सुझाव प्राप्त होंगें। मुझे आशा है कि इन सुझावों से रेलवे का जो बजट मई में प्रस्तुत किया जायेगा उसके बनाने में सहायता मिलेगी।

हमारा पूरा प्रयास होगा कि जहां भी संभव हो खर्च में कमी की जाये। परन्तु यह ध्यान अवश्य रखा जायेगा कि रेलवे की दक्षता में कोई अन्तर न पड़े। हां इसमें कुछ कठिनाईयां अवश्य होंगी।

श्री बिश्वास द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में मैं इतना कहूँगा कि उनका यह कहना ठीक नहीं कि सरकार ने उन समितियों तथा आयोगों की सिफारिश नहीं मानी जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया था और जिन्होंने सुझाव दिये थे। दो वेतन आयोगों की न केवल सिफारिश मान ली गई है अपितु उन्हें कार्यान्वित भी किया जा चुका है। शंकरशरण न्यायाधिकरण की सिफारिशों के बारे में एक फार्मूला है जिसमें प्रवीण, अर्द्ध प्रवीण तथा ऊँचे दर्जे के प्रवीण कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। यह नहीं हो सकता कि इस सब को एक दम किया जा सकता है। इसमें कुछ समय लगेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री बिस्वास ने सदन में क्यों यह आरोप लगा दिया।

श्री जितेन्द्र मोहन बिस्वास (बांकुरा) : शायद मन्त्री महोदय ने मुझे ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था कि चौथी श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिशों को केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित किया है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह बात कार्यवाही से सिद्ध हो जायेगी कि जो मैंने कहा है वह ठीक है।

श्री जार्ज फरनान्डीज ने आडिट रिपोर्ट से पढ़कर सुनाया है। यह आडिट रिपोर्ट लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के पास जायेगी और उसकी सिफारिश सदन के सामने प्रस्तुत की जायेगी। इसलिए उन पर विचार व्यक्त करना अभी उचित नहीं है।

सदस्यों ने कुछ और मामले भी उठाये। जहाँ तक नये क्षेत्रों में रेलवे पटरी बिछाने का सम्बन्ध है वह सरकार के विचाराधीन है। कुछ सर्वेक्षण हुआ है और यह चौथी योजना पर भी आधारित है। उसके पश्चात् प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार होगा।

रेलों में प्रगतिशीलता लाने के बारे में भी कहा गया है परन्तु साथ ही कुछ सदस्यों ने नवीनकरण का विरोध किया है कि इससे कर्मचारियों की छँटनी होगी। इन परस्पर विरोधी बातों को मिलाने का प्रयास किया जायेगा। यह इसलिए है क्योंकि रेलों को वाणिज्यिक ढंग से चलाना है तथा उसमें इसके खर्चों को सीमित रखा जायेगा। साथ ही इसकी आय भी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। परन्तु नवीनकरण को स्वीकार करना होगा। हमने डीजल से चलाने की योजना बनाई है। हमने नई भर्ती बन्द कर दी है ताकि नवीनकरण के कारण जो फालतू कर्मचारी होंगे उन्हें दूसरे कार्य पर लगाया जा सके। उनकी छँटनी नहीं होगी।

विशेष यात्री सुविधा कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सी० आई० डब्ल्यू० श्रमिक संघ को मान्यता नहीं दी गई है। हमारी नीति कोई श्रमिक संघ मानने के लिए नहीं है क्योंकि वह रेलवे का एक उत्पादन एकक है जहां कर्मचारी परिषद हैं जिसके माध्यम से शिकायतें रखी जा सकती हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रबन्धकों के सामने रखा जा सकता है।

श्री जे० एम० बिस्वास : उसे मान्यता न देने का कारण यह है कि उस पर नियन्त्रण गैर-कांग्रेसी दलों का है।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं यह आरोप स्वीकार नहीं करता। उसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया के कारण वहाँ श्रमिकों से सम्बन्ध अच्छे हैं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने आयव्ययक पर वाद-विवाद पर उत्तर देते हुये कहा था कि मैं कोई रेलवे कार्मिक संघ नहीं चाहता। (**अंतर्बाधा**) क्या माननीय मन्त्री को ऐसा कहने का अधिकार है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बल्कि कार्मिक संघों के अधिकारों का प्रश्न है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री चे० मु० पुनाचा : जहाँ तक रेलवे प्रशासन के उत्पादन एककों का सम्बन्ध है, हम कर्मचारी परिषद् का ढाँचा बना रहे हैं और उसके माध्यम से श्रमिकों के साथ प्रबन्ध अच्छे हो रहे हैं। हम उस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि हमें श्रमिकों के कल्याण पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिये। हम इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए चिकित्सा, शिक्षा, तथा सामाजिक और अन्य कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हम इनमें सुधार करने का प्रयत्न भी करेंगे। रेलवे हमारे देश के सबसे बड़े सरकारी कार्यों में से एक है। रेलवे प्रशासन तथा मेरे सहयोगियों का सदा यह प्रयत्न होगा कि हम बहुत अच्छा कार्य करें। इसके लिए मै सभा का सहयोग, सहायता तथा सुझाव चाहता हूँ।

हम प्रतिवर्ष 4,000 से 5,000 डिब्बे तक बढ़ा रहे हैं। छोटी लाइनों में से अधिकांश गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही है और वे लाभप्रद नहीं हैं। उनके बारे में सुझावों पर विचार किया जायेगा। नई लाइनों के बारे में योजना आयोग ने निदेश दिये हैं कि बड़ी परियोजनाओं तक जाने वाली लाइनों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन क्षेत्रों को जिनमें लोह अयस्क तथा खनिज है।

श्री बृजेन्द्र सिंह (भरतपुर) : मथुरा, भरतपुर तथा अलवर क्षेत्रों में लाइनों के बारे में पुनः जांच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव इकट्ठे मतदान के लिए रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 रेलवे आयव्ययक के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands for Grants on account in respect of Railways for the year 1967-68 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	42,99,000
2	विविध व्यय	1,53,13,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	12,49,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	21,18,38,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	67,79,32,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	43,25,66,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
7	संचालन व्यय--परिचालन (ईधन)	42,75,82,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईधन को छोड़कर)	12,52,79,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	10,64,74,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	7,39,36,000
11	संचालन व्यय--मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	33,00,02,000
11-क	संचालन व्यय--पेंशन निधि में विनियोग	5,01,67,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	6,00,00,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	3,75,00,000
14	नयी लाइनों का निर्माण	12,70,90,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,78,44,75,000
16	पेंशन प्रभार--पेंशन निधि	1,37,69,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें* मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands * for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railway for 1966-67 were put and adopted :---

मांग संख्या	शीर्षक	राशि *
		रु०
2	विविध व्यय	1,000
4	संचालन व्यय--प्रशासन	*3,01,36,000
5	संचालन व्यय--मरम्मत और अनुरक्षण	*9,61,24,000
6	संचालन व्यय--परिचालन कर्मचारी	*4,19,29,000
7	संचालन व्यय--परिचालन (ईधन)	*7,08,91,000
8	संचालन व्यय--परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़)	*2,32,71,000
9	संचालन व्यय--विविध व्यय	*67,78,000
16	पेंशन प्रभार--पेंशन निधि	*36,62,000
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	15,26,93,000

*परिवर्तित रूप में

*as modified.

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक-1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE ON ACCOUNT BILL-1967

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL-1967

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE ON ACCOUNT BILL-1967

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खंण्डों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1,2,3 the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1967

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, 2. 3 the Schedule, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

गोवा-दमण और दीव आय-व्ययक 1967-68 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोआ, दमण और दीव) 1966-67

GOA, DAMAN AND DIU BUDGET 1967-68 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY (GOA, DAMAN AND DIU), 1967-68

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें आय-व्ययक पर चर्चा के लिए समय भी नहीं दिया जा रहा ।

अध्यक्ष महोदय : इसे राज्य सभा में तथा उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाना है । राजस्थान पर चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हो चुकी है ।

वर्ष 1967-68 के लिए गोआ दमन और दीव के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गईं :—

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	भूराजस्व	1,70,000
2.	राज्यीय उत्पादन-शुल्क	2,78,100
3.	गाड़ियों पर कर	92,300
4.	बिक्री कर	57,000
5.	अन्य कर और शुल्क	2,10,000
6.	स्टाम्प	3,300

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
7.	रजिस्ट्री फीस	80,100
8.	संघीय राज्य क्षेत्र का विधान मण्डल	1,57,500
9.	सामान्य प्रशासन	13,34,600
10.	न्याय प्रशासन	4,53,600
11	जेलें	1,20,300
12.	पुलिस	18,72,600
13.	विविध विभाग	2,33,200
14.	वैज्ञानिक विभाग	66,900
15.	शिक्षा	59,20,000
16.	चिकित्सा	26,20,200
17.	लोक स्वास्थ्य	19,04,400
18.	कृषि	15,83,100
19.	पशु-पालन	6,08,300
20.	सहकारिता	2,16,700
21.	उद्योग	4,20,200
22.	सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और विकास-कार्य	6,06,000
23.	श्रम और नियोजन	29,500
24.	विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन	8,40,600
25.	सिंचाई नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	2,49,700
26.	बिजली योजनाएँ	21,41,000
27.	लोक-निर्माण-कार्य	32,82,000
28.	लोक-निर्माण-कार्य पर पूँजी परिव्यय	13,76,700
29.	बन्दरगाह और नौ-चालन	1,88,000
30.	सड़क और जल-परिवहन योजनाएँ	5,37,200
31.	पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	11,75,900
32.	लेखन सामग्री और छपाई	3,31,300
33.	वन	3,29,300
34.	विविध	26,72,000
35.	अन्य विविध क्षतिपूर्तियाँ और समर्पण	38,000
36.	लोक-स्वास्थ्य के सुधार पर पूँजी परिव्यय	16,66,700
37.	कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	8,66,700
38.	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूँजी परिव्यय	9,27,900

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
39.	सिंचाई नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्यों पर पूँजी परिव्यय (अवाणिज्यिक)	1,66,700
40.	बिजली योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	50,00,000
41	लोक-निर्माण-कार्यों पर पूँजी परिव्यय	51,57,000
42.	अन्य निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	10,83,000
43	बन्दरगाहों पर पूँजी परिव्यय	5,00,000
44	सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	2,00,000
45.	वनों पर पूँजी परिव्यय	5,00,000
46.	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	1,42,90,000
47.	संघीय राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	17,00,000

वर्ष 1966-67 के लिए गोवा, दमन और दीव के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गयीं ।

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	भू-राजस्व	90,200
2.	राज्यीय उत्पादन-शुल्क	52,000
4.	बिक्री कर	100
5.	अन्य कर शुल्क	45,000
7.	रजिस्ट्री फीस	10,800
9.	सामान्य प्रशासन	57,000
11.	जेलें	62,000
12.	पुलिस	7,64,500
13.	विविध विभाग	47,400
14.	वैज्ञानिक विभाग	35,700
15.	शिक्षा	29,49,900
16.	चिकित्सा	51,100
18.	कृषि	100
19.	पशु-पालन	63,200
20.	सहकारिता	65,100
22.	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	34,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
24.	विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन	4,29,200
25.	सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल निकासी कार्य	3,89,500
27.	लोक-निर्माण-कार्य	1,30,900
28.	लोक-निर्माण-कार्यों पर पूँजी-परिव्यय	33,70,000
29	बन्दरगाह और नौचालन	56,000
30.	सड़क और जल परिवहन योजनायें	3,55,900
31.	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,500
32.	लेखन-सामग्री और छपाई	2,70,100
33.	वन	1,17,800
36.	लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूँजी परिव्यय	17,50,000
38.	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	4,30,000
43.	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	6,86,000
44.	सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,00,000
45.	वनों पर पूंजी परिव्यय	9,00,000
47.	ऋण और अग्रिम	200

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये गोआ, दमण और दीव के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Goa, Daman and Diu for the year 1966.-67 were put and adopted :---

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	भूराजस्व	1,70,000
2	राज्यीय उत्पादन-शुल्क	2,78,100
3	गाड़ियों पर कर	92,300
4	विक्री कर	57,000
5	अन्य कर और शुल्क	2,10,000
6	स्टाम्प	3,300
7	रजिस्ट्री-फीस	80,100
8	संघीय राज्य क्षेत्र का विधान मण्डल	1,57,500
9	सामान्य प्रशासन	13,34,600
10	न्याय प्रशासन	4,53,600
11	जेलें	1,20,300

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
12	पुलिस	18,72,600
13	विविध विभाग	2,33,200
14	वैज्ञानिक विभाग	66,900
15	शिक्षा	59,20,000
16	चिकित्सा	26,20,200
17	लोक स्वास्थ्य	19,04,400
18	कृषि	15,83,100
19	पशु-पालन	6,08,300
10	सहकारिता	2,16,700
21	उद्योग	4,20,200
22	सामुदायिक विकास प्रायाजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और विकास-कार्य	6,06,000
23	श्रम और नियोजन	29,500
24	विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी निर्माण	8,40,600
25	सिंचाई नौ परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	2,49,700
26	बिजली योजनाएं	21,41,000
27	लोक निर्माण कार्य	32,82,000
28	लोक निर्माण कार्य पर पूंजा परिव्यय	13,76,700
29	बन्दरगाह और नौ-चालन	1,88,000
30	सड़क और जल परिवहन योजनाएं	5,37,200
31	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	11,75,900
32	लेखन सामग्री और छपाई	3,31,300
33	वन	3,29,300
34	विविध	26,72,000
35	अन्य विविध क्षतिपूर्तियां आर समर्पण	38,000
36	लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूँजी परिव्यय	16,66,700
37	कृषि संबंधी सुधार आर गवेषणा की योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	8,66,700
38	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूँजी परिव्यय	9,27,900
39	सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी संबन्धी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (अवाणिज्यिक)	1,66,700
40	बिजली योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	50,00,000
41	लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजा परिव्यय	51,57,000
42	अन्य निर्माण-कार्यों पर पूँजी परिव्यय	10,83,300

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
43	बन्दरगाहों पर पूँजी परिव्यय	5,00,000
44	सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	2,00,000
45	वनों पर पूँजी परिव्यय	5,00,000
46	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,42,90,000
47	संघीय राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये गोवा, दमण और दीव के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखीं गई तथा स्वीकृत हुईं :

The following supplementary Demands for Grants in respect of Goa, Daman and Diu for the year 1966-67 were put and adopted :---

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	भू-राजस्व	90,200
2	राज्योय उत्पादन-शुल्क	52,000
4	बिक्री कर	100
5	अन्य कर और शुल्क	45,000
7	रजिस्ट्री फीस	10,800
9	सामान्य प्रशासन	57,000
11	जेलें	62,000
12	पुलिस	7,64,500
13	विविध विभाग	47,400
14	वैज्ञानिक विभाग	35,700
15	शिक्षा	29,49,900
16	चिकित्सा	51,100
18	कृषि	100
19	पशुपालन	63,200
20	सहकारिता	65,100
22	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	34,000
24	विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन	4,29,200
25	सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल निकासी कार्य	3,89,500
27	लोक-निर्माण-कार्य	1,30,900

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
28	लोक-निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	33,70,000
29	बन्दरगाह और नौचालन	56,000
30	सड़क और जल परिवहन योजनायें	3,55,900
31	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,500
32	लेखन-सामग्री और छपाई	2,70,100
33	वन	1,17,800
36	लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूँजी परिव्यय	17,50,000
38	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	4,30,000
43	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	6,86,000
44	सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,00,000
45	वनों पर पूंजी परिव्यय	9,00,000
47	ऋण और अग्रिम	200

गोआ, दमण और दीव विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967

GOA, DAMAN AND DIU APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1967-68

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं श्री मुरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ : "कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

गोआ, दमण और दीव विनियोग विधेयक, 1967

GOA, DAMAN AND DIU APPROPRIATION BILL 1967

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं श्री मुरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं : "कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय

वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री कृ० चं० पन्त : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र का संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3 the Schedule the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृ० चं० पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3 the Schedule, the Enacting formula and the long title were added to the Bill.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

राजस्थान आय-व्ययक, 1967-68 लेखानुदानों की मांगें (राजस्थान), 1967-68 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (राजस्थान) 1966-67

Rajasthan Budget 1967-68, **Demands for Grants On Account** (**Rajasthan**) 1967-68 **and** **Demands for Supplementary Grants** (**Rajasthan**) 1966-67

वर्ष 1967-68 के लिए राजस्थान के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
I	भू राजस्व	1,00,86,000
II	राजकीय आबकारी कर	41,24,000
III	गाड़ियों पर कर	3,20,000
IV	बिक्री कर	21,70,000
V	अन्य कर और महसूल	4,84,000
VI	स्टाम्प्स	1,67,000
VII	पंजीयन शुल्क	98,000
VIII	राज्य विधान मण्डल	14,58,000
IX	सामान्य प्रशासन	1,13,78,000
X	न्याय प्रशासन	25,22,000
XI	कारागार	16,70,000
XII	पुलिस	2,97,24,000
XIII	विविध विभाग	35,42,000
XIV	वैज्ञानिक विभाग	16,70,000
XV	शिक्षा	8,41,51,000
XVI	चिकित्सा	2,34,12,000
XVII	जन स्वास्थ्य	1,89,13,000
XVIII	कृषि	1,57,81,000
XIX	पशुपालन	61,74,000
XX	सहकारिता	45,45,000
XXI	उद्योग	19,21,000
XXII	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	99,92,000
XXIII	श्रम और नियोजन	19,85,000
XXIV	विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन	68,13,000
XXV	बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं	1,09,32,000
XXVI	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	28,88,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	24,62,000
	सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और संयंत्र पर व्यय	9,41,000
XXVII	सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,27,83,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय	रुपये 30,99,000
	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत	21,30,000
XXVIII	दुर्भिक्ष सहायता	3,22,67,000
XXIX	निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ	51,14,000
	निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण	93,000
XXX	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति पेंशन	1,000
XXXI	भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते	4,17,000
XXXII	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण	29,34,000
XXXIII	वन	38,03,000
XXXIV	विविध	57,24,000
XXXV	अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन	22,92,000
XXXVI	राष्ट्रीय आपत्काल से सम्बन्धित व्यय	5,00,000
XXXVII	भूमिधारिकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय	1,16,67,000
XXXVIII	जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत	36,17,000
XXXIX	कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत	3,97,000
XL	ओद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत	38,72,000
XLI	बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत	2,78,28,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)	2,53,80,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)	57,46,000
XLII	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत	1,08,92,000
XLIII	अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत	4,000
XLIV	सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत	70,000
XLV	निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान	93,000
XLVI	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत	9,97,88,000
XLVII	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	9,01,83,000

वर्ष 1966–67 के लिये राजस्थान के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
I	भू-राजस्व	27,23,000
II	राजकीय आबकारी कर	3,56,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
III	गाड़ियों पर कर . . .	1,21,000
IV	बिक्री कर . . .	5,40,000
V	अन्य कर और महसूल . . .	1,53,000
VI	स्टाम्प्स . . .	63,000
VII	पंजीयन शुल्क . . .	35,000
VIII	राज्य विधान मण्डल . . .	1,49,000
1X	सामान्य प्रशासन . . .	30,33,000
X	न्याय प्रशासन . . .	3,68,000
XI	कारागार . . .	3,00,000
XIII	विविध विभाग . . .	19,52,000
XIV	वैज्ञानिक विभाग . . .	8,50,000
XV	शिक्षा . .	2,27,11,000
XVI	चिकित्सा . .	37,89,000
XVII	जन स्वास्थ्य . . .	55,70,000
XVIII	कृषि	1,000
XIX	पशुपालन	30,94,000
XX	सहकारिता . . .	7,77,000
XXI	उद्योग . . .	1.000
XXII	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य . . .	11,41,000
XXIII	श्रम तथा नियोजन . . .	1,000
XXIV	विविध सामाजिक तथा विकास संगठन . .	5,78,000
XXV	बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं . .	15,00,000
XXVI	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	16,15,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) . . .	4,19,000
	सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय	6,19,000
XXVII	सार्वजनिक निर्माण कार्य . . .	2,21,00,000
	सार्वजनिक निर्माण कार्य—	
	भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजारों और संयंत्रों पर व्यय	4,23,000
XXVIII	दुर्भिक्ष सहायता . . .	7,70,00,000
XXIX	निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ . .	7,62,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XXXI	भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते . .	10,74,000
XXXII	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . . .	1,000
XXXIII	वन . . .	6,03,000
XXXIV	विविध . . .	32,75,000
XXXV	अन्य विविध क्षति पूर्ति और अभिहस्ताकन . .	5,46,000
	खा-राजस्व लेखे से बाहर पूंजी व्यय	
XXXIX	कृषि उन्नति और अन्वषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत .	44,62,000
XL	औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत .	88,06,000
XLI	बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत .	2,70,00,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)	8,34,84,000
	सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) .	62,80,000
XLII	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत .	1,03,15,000
XLVI	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत .	3,41,00,000
XLVII	राज्य सरकारी द्वारा ऋण तथा अग्रिम .	4,55,30,000

1966-67 **राजस्थान आय-व्ययक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :**

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	1	डा० कर्णी सिंहजी :	राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	2	डा० कर्णी सिंहजी :	कुछ कस्बों में स्कूलों और कालेजों का स्तर ऊँचा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	3	डा० कर्णी सिंहजी :	सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का अपर्याप्त मात्रा में दिया जाना और लोगों को अपनी दवायें स्वयं खरीदने के लिए कहना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
18	4	डा० कर्णी सिंहजी :	बाँधों की मरम्मत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	5	डा० कर्णी सिंहजी :	कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
21	6	डा० कर्णी सिंहजी :	कृषि कार्यों के लिए ट्यूब वैल लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	7	श्री राधा कृष्ण विड़ला :	राजस्थान में उन भेड़ों के प्रजनन तथा पालन की आवश्यकता जिनसे बढ़िया किस्म की ऊन उपलब्ध होती है ।	100 रुपये
25	8	श्री राधा कृष्ण विड़ला :	राज्य के सभी भागों में उद्योगों का समान रूप से वितरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
25	9	श्री राधा कृष्ण विड़ला :	बेकारों बड़ी की संख्या को रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
28	10	श्री राधा कृष्ण विड़ला :	खारी पानी वाले कुछ क्षेत्रों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये राजस्थान नहर पर उत्थापक नहर (लिफ्ट चैनल) का प्रश्न ।	100 रुपये
28	11	श्री राधा कृष्ण विड़ला :	गत कुछ वर्षों से विद्यमान सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में दुर्भिक्ष सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान नहर परियोजना को अपने हाथ में लेने का विचार है ?

श्री राधा कृष्ण बिड़ला (झुंझुनू) : राजस्थान के औद्योगिक कारखानों तथा कृषि फार्मों में बिजली की भारी कमी का क्या कारण है ? कोटा में लगाये गये गैस टर्बाईन को चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had raised the matter of 132 seers of gold in Rajasthan. The gold mentioned in Panchnama is different from the gold received in treasury and I have got a proof to substantiate it. May I know whether the Government

are taking any measures to recover the gold and arrest Shri Sukhadia under Defence of India Act. The Minister of Home Affairs and the Minister of Finance should pay attention to this matter.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know the steps being taken by the Government to give relief to the farmer in nine districts of Rajasthan affected by hailstorm ? What relief is being given to the families of the persons killed in firing in Jaipur on 7th March ? I would also like to know detailed information regarding the working of Gandhi Sagar dam ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) I would like to know the number of persons killed in Jaipur on 7th March and the details regarding the enquiry to be conducted in this connection ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I would like to know the action taken in the matter of gold case against Charanjit Lal Geonka ? While imposing the President's rule the Government should take into acoount the conditions Prevailing in India.

I would now ask the Hon'ble Home Minister to let the Govt. of the people establish in U.P. and Rajasthan and stop the members from crossing the floor under temptation of money.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि स्थिति सामान्य होने पर राजस्थान में निर्वाचित सदस्यों की सरकार बनाई जायेगी । अब वहाँ सामान्य स्थिति है । तो क्या वहाँ सरकार बनाने का निश्चय कर लिया गया है ।

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : अब तो हम राजस्थान का अन्तरिम आयव्ययक अनिच्छापूर्वक पास कर रहे हैं परन्तु क्या मई या जून में यह आयव्ययक राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना सम्भव होगा ?

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargon) : I want to ask the Hon'ble Minister that how many goondas were brought from other states to create disturbances and how many police men were injured and consequently became invalid ? The incident of Gold should also be enquired into by some outside Judge.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० च० पन्त) : राजस्थान नहर का मामला किसी स्वतंत्र अधिकरण को सौंपने का विचार था परन्तु वैसा नहीं हो सका और अब वह राजस्थान राज्य आयोग का ही एक भाग है । फिर भी इस नहर पर किये जाने वाले खर्च का मुख्य भाग केन्द्र सरकार देती है ।

बिजली की कमी इसलिये है कि सूखे के कारण गान्धी सागर में पानी कम इकट्ठा हुआ है । अभी तक गैस टरबाईन का प्रयोग करने के बारे में विचार नहीं किया गया ।

श्री राधा कृष्ण बिड़ला (झुंझनु) : अभी तक आपने इस विषय पर क्यों नहीं सोचा । जब आप को पता भी है कि राजस्थान में उद्योगों के लिए बिजली अनिवार्य है ।

श्री कृ० चं० पन्त : राजस्थान सरकार ने सोने के बारे में सूचना दी है कि पंचनामा में लिखा सोना और कोष में जो सोना है वह दोनों एक ही हैं । पंचनामा में लिखा सोने का वजन

उतना ही है जितना कोष में है और खजाने की रसीद में भी लिखा है। राजस्थान सरकार ने यह भी बताया है कि जब सोना मिला था तो उस समय उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे और वे कोष में सोना ले जाते समय साथ थे।

पिछले वर्ष राजस्थान में सहायता कार्यों पर 10–12 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सूखा और अन्य दैवी प्रकोपों के कारण यह खर्च करना पड़ा।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) How much relief is being given to the victims of firing of 7th March ? When the turbines of Gandhi Sagar are likely to function and how much expenditure is involved ?

श्री कृ० चं० पन्त : मैं चिरंजीत लाल गोयन्का के सोने के विषय में कुछ भी कहने में असमथ हूँ। मुझे इसकी अलग से सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : मैं 7 मार्च को गोली काण्ड के विषय में बता देना चाहता हूँ। समाचार पत्रों में छपे समाचारों तथा सरकारी सूचना के आधार पर इस गोली काण्ड में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। परन्तु इस बात की भी न्यायिक जांच की जा रही है। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक जाँच तथा उसके लिए एक जज के चुनाव के लिए लिखा है और इस बात का जल्दी ही निश्चय हो जायेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : इस काम में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

Shri Y. B. Chavan : The selection of a Judge is an important matter for which sanction of the Chief Justice and consent of concerned person is necessary and obviously it will take some time. So far the question of restoration of responsible Govt. in Rajasthan is concerned, we are awaiting a report of the Governor whether the situation has come to normal.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये राजस्थान के संबंध में लेखानुदानों की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।

The following demands for grants on account in respect of Rajasthan for the year 66-6719 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
I	भू-राजस्व . . .	1,00,86,000
II	राजकीय आबकारी कर . .	41,24,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
III	गाड़ियों पर कर . . .	3,20,000
IV	बिक्री कर	21,70,000
V	अन्य कर और महसूल . . .	4,84,000
VI	स्टाम्प्स	1,67,000
VII	पंजीयन शुल्क	98,000
VIII	राज्य विधान मण्डल . . .	14,58,000
IX	सामान्य प्रशासन	1,13,78,000
X	न्याय प्रशासन	25,22,000
XI	कारागार	16,70,000
XII	पुलिस . .	2,97,24,000
XIII	विविध विभाग	35,42,000
XIV	वैज्ञानिक विभाग	16,70,000
XV	शिक्षा	8,44,51,000
XVI	चिकित्सा	2,34,12,000
XVII	जन-स्वास्थ्य	1,89,13,000
XVIII	कृषि .	1,57,81,000
XIX	पशु पालन	61,74,000
XX	सहकारिता	45,45,000
XXI	उद्योग	19,21,000
XXII	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य .	99,92,000
XXIII	श्रम और नियोजन . . .	19,85,000
XXIV	विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन . .	68,13,000
XXV	बहुप्रयोजन नदी योजनाएं . . .	1,09,32,000
XXVI	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जलनिकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) .	28,88,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	24,62,000
	सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और संयंत्र पर व्यय .	9,41,000
XXVII	सार्वजनिक निर्माण कार्य . . .	3,27,83,000
	सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय .	30,99,000
	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूँजी की लागत	21,30,000
XXVIII	दुर्भिक्ष सहायता . . .	3,22,67,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XXIX	निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ	51,14,000
	निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण .	93,000
XXX	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति पेंशन .	1,000
XXXI	भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते .	4,17,000
XXXII	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . .	29,34,000
XXXIII	वन	38,03,000
XXXIV	विविध	57,24,000
XXXV	अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन .	22,92,000
XXXVI	राष्ट्रीय आपत्काल से सम्बन्धित व्यय . .	5,00,000
XXXVII	भूमिधारिकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय . . .	1,16,67,000
XXXVIII	जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूँजी की लागत . .	36,17,000
XXXIX	कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूँजी की लागत	3,97,000
XL	ओद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत .	38,72,000
XLI	बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत .	2,78,28,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) .	2,53,80,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)	57,46,000
XLII	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत	1,08,92,000
XLIII	अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत	4,000
XLIV	सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत	70,000
XLV	निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान	93,000
XLVI	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत	9,97,88,000
	गा—ऋणों और अग्रिमों का वितरण	
XLVII	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	9,01,83,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये राजस्थान के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं ।.

The following supplementary Demands for Grants in respect of Rajasthan for the year 1966-67 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
I	भू-राजस्व	27,23,000
II	राजकीय आबकारी कर	3,56,000
III	गाड़ियों पर कर	1,21,000
IV	बिक्री कर	5,40,000
V	अन्य कर और महसूल	1,53,000
VI	स्टाम्प्स	63,000
VII	पंजीयन शुल्क	35,000
VIII	राज्य विधान मण्डल	1,49,000
IX	सामान्य प्रशासन	30,33,000
X	न्याय प्रशासन	3,68,000
XI	कारागार	3,00,000
XIII	विविध विभाग	19,52,000
XIV	वैज्ञानिक विभाग	8,50,000
XV	शिक्षा	2,27,11,000
XVI	चिकित्सा	37,89,000
XVII	जन-स्वास्थ्य	55,70,000
XVIII	कृषि	1,000
XIX	पशुपालन	30,94,000
XX	सहकारिता	7,77,000
XXI	उद्योग	1,000
XXII	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	11,41,000
XXIII	श्रम तथा नियोजन	1,000
XXIV	विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन	5,78,000
XXV	बहुप्रयोजन नदी योजनाएँ	15,00,000
XXVI	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	16,15,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	4,19,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XVII	जन स्वास्थ्य	55,70,000
XVIII	कृषि	1,000
XIX	पशुपालन	30,94,000
XX	सहकारिता	7,77,000
XXI	उद्योग	1,000
XXII	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य . . .	11,41,000
XXIII	श्रम तथा नियोजन	1,000
XXIV	विविध सामाजिक तथा विकास संगठन .	5,78,000
XXV	बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं . . .	15,00,000
XXVI	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	16,15,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) . . .	4,19,000
	सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय	6,19,000
XXVII	सार्वजनिक निर्माण कार्य . . .	2,21,00,000
	सार्वजनिक निर्माण कार्य——	
	भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजारों और संयंत्रों पर व्यय	4,23,000
XXVIII	दुर्भिक्ष सहायता . . .	7,70,00,000
XXIX	निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ . .	7,02,000
XXXI	भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते . ,	10,74,000
XXXII	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . . .	1,000
XXXIII	वन	6,03,000
XXXIV	विविध	32,75,000
XXXV	अन्य विविध क्षति पूर्ति और अभिहस्ताकन . .	5,46,000
XXXIX	कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत	44,62,000
XL	औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत .	88,06,000
XLI	बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत .	2,70,00,000
	सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) . .	8,34,84,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)	62,80,000
XLII	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत	1,03,15,000
XLVI	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत	3,41,00,000
XLVII	राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम	4,55,30,000

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1967-68

RAJASTHAN APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1967-68

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1967-68

RAJASTHAN APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1967-68

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के निकाले जाने के उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : खन्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1. 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3 the Schedule, the Enacting formula aud the Title were added to the Bill.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अयध्क्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

राजस्थान विनियोग विधेयक 1966-67

RAJASTHAN APPROPRIATION BILL 1966-67

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय ; प्रश्न यह है ;

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों क भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ :

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजस्थान राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं क लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खन्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, 2, 3 the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

Re. HALF-AN-HOUR DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब कार्य सूची के अनुसार आधे घंटे की चर्चा होगी जिसमें कि भारत-श्री लंका करार के बारे में प्रश्न सं० 7 के 20 मार्च, 1967 को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों पर चर्चा होगी । **(व्यवधान)**

यदि मंत्री महोदय को असुविधा न हो तो हम इस विषय पर कल चर्चा करेंगे ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे कोई असुविधा नहीं है ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 1967/8 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday March 29, 1967 / Chaitra 8, 1889 (Saka)

Tirthraj Press, Allahabad.